एडीबी

देश भागीदारी रणनीति

सितंबर 2017

भारत, 2018–2022

– समावेशी आर्थिक परिवर्तन को गति प्रदान करते हुए

इस दस्तावेज का वितरण तब तक प्रतिबन्धित है जब तक कि यह निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है। ऐसे अनुमोदन के उपरान्त, एडीबी दस्तावेजों को एडीबी की सार्वजनिक संचार नीति 2011 के अनुसार जनता के सामने जाहिर करेगा।

एशियाई विकास बैंक

मुद्रा समानता

(09 अगस्त 2017 तक)

मुद्रा इकाई	–	भारतीय रुपया (₹)
₹1.00	=	$0.0156
$1.00	=	₹63.75

संक्षिप्तीकरण

एडीबी		एशियाई विकास बैंक
एएमआरयूटी		अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन
सीएपीई		देश सहायता कार्यक्रम मूल्यांकन
सीपीएस		देश भागीदारी रणनीति
एफडीआई		विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
जीडीपी		सकल घरेलू उत्पाद
जीईएसआई		लैंगिक समानता एवं सामाजिक समावेशन
जीडब्ल्यू		गीगा वाट
आईएनडीसी		राष्ट्रीय स्तर पर अभिप्रेत निर्धारित योगदान
पीएमजीएसवाई		प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना
पीपीपी		सार्वजनिक–निजी भागीदारी
पीएसओडी		निजी क्षेत्र प्रचालन विभाग
आरसीआई		क्षेत्रीय सहयोग एवं एकीकरण
एसएएसईसी		दक्षिण एशिया उप–क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग
एसडीजी		स्थायी विकास लक्ष्य
टीए		तकनीकी सहायता
टीवीईटी		तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण
यूएलबी		शहरी स्थानीय निकाय
यूएन		संयुक्त राष्ट्र

टिप्पणियां

(i) भारत सरकार का राजकोषीय वर्ष (एफवाई) 1 अप्रैल को आरंभ होता है। किसी कैलेंडर वर्ष से पहले पड़ना वाला राजकोषीय वर्ष (एफवाई) ऐसे वर्ष का द्योतक है, जिसमें राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है, उदाहरण के लिए राजकोषीय वर्ष 2016, 1 अप्रैल 2016 को आरंभ होता है तथा 31 मार्च 2017 को समाप्त होता है।

(ii) इस प्रतिवेदन में, "$" यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स को उद्धृत करता है।

(iii) इस प्रतिवेदन में, "₹" भारतीय रुपए को उद्धृत करता है।

उपाध्यक्ष	डब्ल्यू झांग, प्रचालन 1
महानिदेशक	एच. किम, दक्षिण एशिया विभाग (एसएआरडी)
देश निदेशक	के. योकोयामा, भारत निवासी मिशन, एसएआरडी
टीम लीडर	जे. बोस्टेल, प्रधान अर्थशास्त्री, एसएआरडी
टीम के सदस्य	एम. चौधरी, वरिष्ठ निवेश विशेषज्ञ, पीएसओडी के. गुप्ता, परियोजना अधिकारी, एसएआरडी के. अयंगर, वरिष्ठ क्षेत्रीय सहयोग अधिकारी, एसएआरडी एम. जैन, वरिष्ठ प्रचालन सहायक, एसएआरडी पी. खान, सामाजिक विकास अधिकारी (लैंगिक), एसएआरडी एन. कुलकर्णी, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, एसएआरडी वाई. पटवाल, वरिष्ठ प्रचालन सहायक, एसएआरडी बी. राउत, कार्यक्रम विश्लेषक, एसएआरडी ए. सेन गुप्ता, वरिष्ठ अर्थशास्त्र अधिकारी, एसएआरडी आर. सिंह, वरिष्ठ देश विशेषज्ञ, एसएआरडी भारत देश टीम
समान पद के समीक्षक	**आर. हसन, निदेशक, आर्थिक अनुसंधान तथा क्षेत्रीय सहयोग विभाग** टी. गैलेगो–लिजॉन, निदेशक, दक्षिण–पूर्व एशिया विभाग

किसी देश भागीदारी रणनीति तैयार करने, किसी परियोजना का वित्त–पोषण करने, अथवा इस दस्तावेज में किसी विशेष भूभाग या भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में अथवा उसका कोई पदनाम रखने में एशियाई विकास बैंक किसी भूभाग अथवा क्षेत्र की विधिक अथवा अन्य स्थितियों से संबंधित किसी न्यायिक मूल्यांकन करने का इरादा नहीं रखता है।

विषय–सूची

	पृष्ठ
राष्ट्र एक नजर में	
I. देश भागीदारी रणनीति आशुचित्र	1
II. देश विकास संदर्भ	2
III. देश रणनीति रूपरेखा	5
क. पूर्ववर्ती कार्यनीति से सीख	5
ख. राष्ट्रीय विकास रणनीति	6
ग. विकास भागीदारों की भूमिका	7
घ. एडीबी के रणनीतिक तथा विषयक उद्देश्य, और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र प्रचालनात्मक प्राथमिकताएं	7
ड. ज्ञान सहायता हेतु प्राथमिकताएं	12
IV. रणनीति क्रियान्वयन	13
क. संकेतक संसाधन प्राचलन	13
ख. क्रियान्वयन प्राथमिकताएं	13
ग. परिणामों की निगरानी	15
घ. जोखिम	15
परिशिष्ट	
1. देश भागीदारी रणनीति परिणाम रूपरेखा	16
2. देश ज्ञान योजना एक नजर में	19
3. सम्बद्ध दस्तावेजों की सूची	22

देश एक नजर में

आर्थिक[a]	राजकोषीय वर्ष 2012	राजकोषीय वर्ष 2013	राजकोषीय वर्ष 2014	राजकोषीय वर्ष 2015	राजकोषीय वर्ष 2016
जीडीपी ($ बिलियन, चालू)	1,826.3	1,856.8	2,035.2	2,090.1	2,263.2
जीडीपी प्रति व्यक्ति ($, चालू)	1,478.8	1,484.2	1,606.3	1,629.1	1,742.3
जीडीपी वृद्धि (%, स्थायी मूल्यों में)	5.5	6.4	7.5	8.0	7.1
कृषि	1.5	5.6	(0.2)	0.7	4.9
उद्योग	3.3	3.8	7.5	8.8	5.6
सेवाएं	8.3	7.7	9.7	9.7	7.7
सकल घरेलू निवेश (जीडीपी का %)	38.6	33.7	34.2	33.2	…
सकल घरेलू बचत (जीडीपी का %)	33.8	32.1	32.9	32.2	…
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (वार्षिक % परिवर्तन)[b]	10.1	9.4	5.8	4.9	4.5
तरलता (एम2) (वार्षिक % परिवर्तन)	9.3	8.7	11.3	13.9	4.6
संपूर्ण राजकोषीय घाटा (अनुदानों को छोड़कर) (जीडीपी का %)	6.9	6.7	6.7	7.5	6.5
वाणिज्यिक वस्तु व्यापार शेष (जीडीपी का %)	(10.4)	(7.2)	(6.8)	(5.7)	(4.7)
चालू खाता शेष (जीडीपी का %)	(4.8)	(1.7)	(1.3)	(1.0)	(0.7)
बाह्य ऋण सेवा (वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात का %)	7.0	6.8	9.1	10.6	…
बाह्य ऋण (जीडीपी का %)	22.4	23.9	23.9	23.5	20.2

गरीबी एवं समाज	**1990**		**नवीनतम वर्ष**	
जनसंख्या (मिलियन)	822.0		1,299.0	[2016]
जनसंख्या वृद्धि (वार्षिक % परिवर्तन)	2.1		1.2	[2016]
मातृ मृत्यु–दर अनुपात (प्रति 100,000 जीवित जन्म)[c]	556.0		167.0	[2013]
शिशु मृत्यु–दर अनुपात (1 वर्ष से कम/प्रति 100,000 जीवित जन्म)	88.3		37.9	[2015]
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष)	57.9		68.0	[2014]
प्रौढ़ साक्षरता (%)	48.2		74.0	[2011]
प्राथमिक विद्यालय कुल नामांकन (%)	77.5		99.2	[2015]
बाल कुपोषण (5 वर्ष से नीचे के बच्चों का %)	50.7	[1992]	29.4	[2014]
गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (%)	45.3	[1993]	21.9	[2011]
स्वच्छ पेयजल तक पहुंच रखनेवाली जनसंख्या (%)	70.5		94.1	[2015]
सफाई तक पहुंच रखनेवाली जनसंख्या (%)	16.8		39.6	[2015]

पर्यावरण	**1990**	**नवीनतम वर्ष**	
कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन (मिलियन टन)	575.4	1,976.0	[2013]
कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन प्रति व्यक्ति (टन)	0.7	1.6	[2013]
वन क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर)	63.9	70.7	[2015]
शहरी जनसंख्या (कुल जनसंख्या का %)	25.5	31.0	[2011]

एडीबी संविभाग (सक्रिय ऋण)[d]	**31 दिसंबर 2016 तक**
कुल ऋणों की संख्या	116
सम्प्रभु	87
गैर– सम्प्रभु	29
शुद्ध ऋण राशि ($ मिलियन)[e]	15,633.6
सम्प्रभु	13,155.9
गैर–सम्प्रभु	2,477.7
संवितरण	
संवितरित राशि ($ मिलियन, संचयी)[f]	7,196.7
सम्प्रभु	4,839.7
गैर– सम्प्रभु	2,357.0
प्रतिशत संवितरित (संवितरित राशि/कुल ऋण राशि)	46
सम्प्रभु	37
गैर– सम्प्रभु	95

… = आंकड़े उपलब्ध नहीं, ( ) = नकारात्मक, [ ] = नवीनतम वर्ष, जिस हेतु आंकड़े उपलब्ध है, एडीबी = एशियाई विकास बैंक, एफवाई = राजकोषीय वर्ष, जीडीपी = सकल घरेलू उत्पाद, एम2 = व्यापक मुद्रा, ओसीआर = साधारण पूंजी संसाधन, यूनीसेफ = संयुक्त राष्ट्र बाल निधि।

[a] वृद्धि दरें राजकोषीय वर्षों पर तथा आधार वर्ष के रूप में राजकोषीय वर्ष 2011 का इस्तेमाल करते हुए एक अद्यतन जीडीपी श्रृंखला पर आधारित हैं। राजकोषीय वर्ष 2016 हेतु वृद्धि दरें आरंभिक सरकारी प्राक्कलनों पर आधारित हैं।

[b] राजकोषीय वर्ष 2011 आधार वर्ष।

[c] 15–49 आयु की महिलाओं हेतु प्राक्कलित। 167.0 का नवीनतम प्राक्कलन 2011–13 की अवधि के औसत हेतु है।

[d] इस तालिका में परियोजनाओं और कार्यक्रमों, जिसमें नीति–आधारित ऋण देना भी सम्मिलित है, हेतु नियमित ओसीआर वित्त पोषण शामिल है।

[e] संचयी निरस्तीकरण की कुल अनुमोदित राशि।

[f] प्रभावी तिथि से संचयी संवितरण।

स्रोत : भारत सरकार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ तथा एडीबी स्टॉफ प्राक्कलन।

I. देश भागीदारी रणनीति आशुचित्र

1. **मुख्य वैकासिक चुनौतियां।** राजकोषीय वर्ष 2012 से भारत ने 7% से अधिक की एक औसत दर पर विकास किया है, जो इसे विश्व की तेजी से उभर रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करते हैं, तथा इसके परिणामस्वरूप वैश्विक जीडीपी में भारत का हिस्सा 2013 में 2.4% से बढ़कर 2016 में 3.0% हो गया। संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने तथा निवेश माहौल को सुधारने के लिए अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि अनेक उपायों के जरिए संभव हो पाई है। राजकोषीय वर्ष 2004 से देश में गरीबी की दर आधी हो गई है तथा बहुत से मिलेनियम विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा चुका है। ऐसे सकारात्मक रुझानों में तेजी लाकर भारत अर्थव्यवस्था से संबंधित अपनी शेष बाधाओं और नई उभरती हुई चुनौतियों से आसानी से निपट सकता है, कुछ चुनौतियां इस प्रकार से हैं, जैसे कि (i) वैश्विक आर्थिक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को एकीकृत करते समय अधिक रोजगार अवसर उत्पन्न करने के लिए आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना; (ii) बुनियादी ढांचे की बाधाओं को दूर करना, विशेष रूप में शहरी विकास केंद्रों को आर्थिक विकास और वाणिज्यिक गतिविधियों के केंद्रक इंजन के रूप में उभारना; (iii) उन्नत और पिछड़े क्षेत्रों, जहां अत्यधिक गरीबी लोग रहते हैं, उनके बीच के अंतर को खत्म करना; (iv) पर्यावरण के बिगड़ते स्वरूप, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों पर ध्यान देना; तथा (v) आर्थिक कार्यकुशलता और उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए बृहद सांस्थानिक क्षमताओं तथा ज्ञान आधार का विकास करना।

2. **एडीबी के रणनीतिक उद्देश्य तथा प्राथमिकताएं।** एशियाई विकास बैंक (एडीबी) भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन में सहायक होगा ताकि देश को निम्न से उच्च मध्य वर्ग की आय स्थिति में पहुंचाने में मदद मिल सके; और देश तीव्र, समावेशी और दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि प्राप्त कर सके। देश भागीदारी रणनीति (सीपीएस) 2018–2022 तीन आधारों पर संकेंद्रित होगी। आधार 1 के तहत, आर्थिक गलियारों के साथ परिवहन एवं ऊर्जा के लिए बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों के विस्तार से, गलियारा विकास तथा शहरी केंद्रों का प्रबंधन बढ़ाकर और औद्योगिकीकरण को सहायता देने के लिए कौशल की कमी दूर करके अधिक तथा बेहतर रोजगार सृजन करने के लिए आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा दिया जाएगा। आधार 2 के तहत, पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे की बाधाओं को खत्म करके, शहरी गरीबों के लिए बेहतर नगर निगम सेवाएं उपलब्ध कराने तथा कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश को समर्थन देकर और बढ़ते ग्रामीण–शहरी आय अंतराल को कम करके, बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों तथा सामाजिक सेवाओं तक समावेशी पहुंच को सुगम बनाया जाएगा। सामाजिक तथा ग्रामीण विकास के लिए समावेशी आर्थिक वृद्धि में निवेश हेतु राजकोषीय विस्तार बढ़ाने के लिए कार्यकुशल सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन को समर्थन दिया जाएगा। आधार 3 के तहत, जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने तथा परियोजना अभिकल्पना में इस्तेमाल होनेवाले दीर्घकालिक प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ावा देने के माध्यम से पर्यावरणीय अधोपतन पर ध्यान दिया जाएगा।

3. **सरकारी विकास योजनाओं के साथ संरेखण।** सरकार ने अपनी 5 वर्षीय राष्ट्रीय विकास योजना प्रक्रिया को एक 15 वर्षीय दृष्टि, एक 7 वर्षीय कार्यनीति तथा एक 3 वर्षीय कार्यक्रम से बदल दिया है। एडीबी की सहायता सरकारी प्राथमिकताओं तथा इसके प्रमुख कार्यक्रमों के अनुरूप है। एडीबी, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का अनुसरण करने हेतु भारत के लक्ष्य को पूर्ण करने तथा अभिप्रेत राष्ट्रीय स्तर के निर्धारित योगदानों (आईएनडीसी) के अन्तर्गत चिन्हित लक्ष्य प्राप्त करने में भी सहायता करेगा।

4. **एडीबी की मूल्य अनुवृद्धि तथा विरल संसाधनों का इस्तेमाल।** सीपीएस ने एडीबी की मूल्य अनुवृद्धि को बढ़ाने तथा प्रभावों को अधिकतम करने के लिए पांच सिद्धांत अपनाएं हैं : (i) एक ऐसे प्रारंभिक, दीर्घावधि कार्यनीति अध्ययन का संचालन करना, जो एडीबी कार्यों को परिवर्तनकारी निवेश पर केंद्रित करने में सहायक होगा; (ii) व्यक्तिगत क्षेत्र की सीमाओं से अलग एक समन्वित दृष्टिकोण लागू करना, जहां कोई भी परिवर्तनकारी कार्यक्रम बहु–क्षेत्रीय समाधान तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के कार्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग की मांग करता है; (iii) एडीबी कार्यों को सरकार के प्रमुख कार्यों के साथ बारीकी से जोड़ते हुए क्षेत्र को बढ़ावा देना तथा विकास प्रभावों को अधिकतम करना; (iv) टीए ऋणों के माध्यम से दीर्घकालीन साझेदारियों को विकसित करने तथा अग्रिम क्षमता का निर्माण करते हुए आर्थिक रूप से कम आधुनिक राज्यों के साथ सक्रिय रूप में कार्यव्यस्त रहना; तथा (v) परियोजना अभिकरणों, राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय संस्थानों के मध्य परस्पर–शिक्षण को प्रगतिशील तरीके से बढ़ावा देते हुए क्षमता विकास संसाधन केंद्र के अंतर्गत क्षमता विकास कार्यक्रम का भविष्य में निरंतर सुदृढ़ीकरण करना।

II. देश विकास संदर्भ

5. **मजबूत आर्थिक वृद्धि तथा समष्टि आर्थिक स्थिरता।** भारत की वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर में राजकोषीय वर्ष 2012– राजकोषीय वर्ष 2013 के दौरान 6.0% की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2014– राजकोषीय वर्ष 2016 के दौरान 7.5% के औसत से बढ़ोत्तरी हुई है। संरचनात्मक बाधाओं को हटाने तथा निवेश माहौल में सुधार लाने के उद्देश्य से, बड़े कार्यक्रमों तथा सुधारों जैसे कि बुनियादी कार्यों का आरंभ करके, विदेश प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्रतिमानकों तथा श्रम और दिवालिया हेतु निर्धारित कानून को उदार बनाकर तथा व्यापार करने की सुगमता बढ़ाने में राज्यों की सहायता करने के माध्यम से, मजबूत वृद्धि को आधार बनाया गया था। मुद्रास्फीति राजकोषीय वर्ष 2012 में 10.1% की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2016 में 4.5% तक नीचे आई है, जो कि दूरदर्शी मौद्रिक नियंत्रण तथा वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में कमी करके संभव हो सका। चालू खाता घाटा, जो कि राजकोषीय वर्ष 2012 में जीडीपी का 4.8% तक पहुंच गया था, उसमें राजकोषीय वर्ष 2016 में लगभग 0.7% की गिरावट हुई। विदेशी मुद्रा भंडार राजकोषीय वर्ष 2016 के समापन पर 362 बिलियन पहुंच गया, जो कि एक वर्ष के व्यापार आयात के बराबर है।

6. **राजकोषीय समेकन।** केंद्र सरकार ने निरंतरतापूर्वक राजकोषीय वर्ष 2012 में जीडीपी के 4.9% से राजकोषीय वर्ष 2016 में 3.5% तक राजकोषीय घाटा कम किया है। राजकोषीय वर्ष 2016 में राष्ट्रीय सार्वजनिक ऋण स्तर जीडीपी के 68.5% पर बना रहा। राजकोषीय कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए प्रमुख सुधार किए जा रहे हैं, जैसे कि पैन–इंडिया वस्तु एवं सेवा कर का प्रारंभ हुआ है, जो कि उन कर संग्रह प्रक्रियाओं तथा डिजिटल मंचों को एकीकृत स्वरूप प्रदान करेगा, जो कर संग्रह तथा लाभांश वितरण की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए जनसांख्यिकीय और बायोमीट्रिक सूचना एकत्र करते हैं। राजकोषीय वर्ष 2015 में सरकार ने राज्यों को जीडीपी के 1% के बराबर कर राजस्व हस्तांतरित किया, जिसका उपयोग राज्यों द्वारा पूंजीगत व्ययों का वित्त–पोषण करने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए किया गया। हालांकि, राजकोषीय वर्ष 2011 से राज्यों के कुल राजकोषीय घाटे में तेजी से वृद्धि हुई है और कुछ घाटे तो इतने ज्यादा हुए हैं कि वे राज्यों के अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून द्वारा नियत राजकोषीय घाटे के बराबर पहुंच चुके हैं।[1]

7. **रोजगार सृजन के साथ संरचनात्मक परिवर्तन।** राजकोषीय वर्ष 2012–राजकोषीय वर्ष 2016 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि कृषि में 2. 5%, विनिर्माण में 7.4% तथा सेवाओं में 8.6% थी। हालांकि, आधुनिक विनिर्माण और सेवाओं की दिशा में किया जानेवाला संरचनात्मक परिवर्तन इन क्षेत्रों में एक समान रोजगार वृद्धि के साथ नहीं किया गया। कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता बना हुआ है, जिसका तात्पर्य यह है कि भारत के आधे कामकाजी लोग कम उत्पादकता के काम में लगे हुए हैं और उनकी आय भी कम है। जैसा कि अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ (10 मिलियन) नए कर्मचारियों को समाहित करने की आवश्यकता है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक परिवर्तन समावेशी है, संरचनात्मक परिवर्तन और रोजगार सृजन अनिवार्य है। यहां कुछ प्रमुख बाधाएं हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे की बाधाएं, अभी भी अविकसित निवेश का माहौल (कुछ राज्यों में सुधार किए जाने के बावजूद भी)[2], विनियामक बाधाएं जैसे कि श्रम कानून और विनिर्माण क्षेत्र का वैश्विक बाजार के साथ सीमित एकीकरण इत्यादि बाधाएं प्रमुख हैं[3]। कौशल कार्यक्रमों की खराब गुणवत्ता के परिणामस्वरूप उत्पन्न श्रमिकों की न्यून रोजगारपरकता भी एक बड़ा मुद्दा है। इसीलिए भारत सरकार ने विनिर्माण वृद्धि को बढ़ाने तथा सन 2022 तक जीडीपी का 25% अंश प्राप्त करने के लिए मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसी प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ किया है। इस हेतु एक वैश्विक प्रतिस्पर्द्धी विनिर्माण क्षेत्र के आधार के रूप में पांच आर्थिक गलियारों की स्थापना की जाएगी तथा श्रमिकों के कौशल और रोजगारपरकता में सुधार किया जाएगा।

8. **बुनियादी ढांचा संबंधी बाधाएं।** हालांकि भारत ने 2014–2016[4] के दौरान आधारभूत संरचना सूची की गुणवत्ता में अपनी वैश्विक श्रेणी में 87 से 68 श्रेणी का सुधार किया है, लेकिन तब भी आधारभूत संरचना एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। बढ़ती अर्थव्यवस्था की सुलभता और गतिशीलता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सड़क मार्ग के ढांचे को बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है ताकि सड़कों का चौड़ीकरण, सतहों को पक्का किया जा सके, सड़क सुरक्षा को बढ़ाया जा सके और परिसम्पत्तियों को अनुरक्षित किया जा सके।[5] रेल प्रणाली, जैसे समर्पित मालभाड़ा गलियारों का काम नियत करना, का सुदृढ़ीकरण करने के लिए किए जानेवाले निवेश के बावजूद रेलवे उच्च–घनत्व वाले मार्गों पर भीड़भाड़, मालगाड़ी की धीमी गति तथा मालभाड़े की बड़ी कीमतों से ग्रस्त है।

---

1 2004 के केंद्रीय सरकार के आयोग ने राज्यों को राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून पारित करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उदाहरण के लिए सशर्त ऋण पुनर्गठन तथा केंद्र सरकार से ब्याज दर राहत के साथ कानूनों को जोड़ना, पारित करना।

2 समावेशी और सतत वृद्धि आकलन (परिशिष्ट 3 में जुड़े दस्तावेजों की सूची से सुलभ), पैरा 20

3 समावेशी और सतत वृद्धि आकलन (परिशिष्ट 3 में जुड़े दस्तावेजों की सूची से सुलभ), पैरा 38

4 विश्व आर्थिक मंच। 2016. *वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिवेदन, 2016–2017.* जिनीवा; तथा विश्व आर्थिक मंच। 2014. *वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिवेदन, 2014–2015.* जिनीवा।

ऊंची लॉजिस्टिक्स लागतों को नियंत्रित करने तथा वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा को बनाए रखने के लिए सड़क, रेल तथा बंदरगाह व्यवस्था का कार्यकुशल जुड़ाव भी संकटग्रस्त है।[6] ऊर्जा उत्पादन क्षमता का तीव्र आर्थिक विकास के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी है, लेकिन विद्युत उपयोगिताओं की वित्तीय कठिनाइयों के चलते ऐसा हो नहीं पा रहा। लगभग 25% घरों में बिजली नहीं हैं और बहुत से घर बारंबार बाधित विद्युतापूर्ति से पीड़ित हैं।[7]

9. **शहरी परिवर्तन।** भारत की शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इस कारण पहले से ही समस्याग्रस्त मूलभूत शहरी सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है और इससे सेवा वितरण पिछड़ रहा है, आवासन कमियां हो रही हैं, आर्थिक गतिविधियां महंगी हो रही हैं और पर्यावरण का क्षरण हो रहा है। जलापूर्ति तथा स्वच्छता जैसी मूलभूत सेवाओं तक लोगों की पहुंच बहुत कम है तथा ऐसी सेवाओं की गुणवत्ता खराब होने के साथ इनकी अवधि भी कम है।[8] शहर के शहर शहरी योजना, भूमि उपयोग तथा तल क्षेत्र विनियमन (भूमि उपयोग का शासकीय नियंत्रण) में कुशल न होने; अल्पविकसित सम्पत्ति कराधान; निम्न निवेश लागत वसूली; तथा राज्य एजेंसियों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में खंड–खंड में बंटे प्राधिकरणों के कारण समस्याएं झेल रहे हैं। इस स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। शहरों को अपने शहरी केंद्रों और शहर से संबद्ध क्षेत्रों को जीवंत वातावरण के साथ तैयार वाणिज्यिक एवं औद्योगिक केंद्रों में आवश्यक रूप में परिवर्तित करना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जिनमें आवश्यक हस्तक्षेप किया जाना जरूरी है, उनमें शामिल है–प्राधिकरणों का विकास करना तथा यूएलबी की क्षमताओं का बढ़ाना, दीर्घावधि की शहरी योजना आरंभ करना, भूमि तथा भवन प्रतिबंधों को नियंत्रण मुक्त करना, नगर निगम राजस्व प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण करना तथा ऐसे आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का व्यवस्थित निर्माण करना, जिससे नियोजित क्षेत्र का शहरीकरण कई दशकों तक किया जा सके। इन कामों से नगर निगम परियोजनाओं की बैंकिंग योग्यता को बढ़ाने में सहायता मिलेगी और शहरी निवेश में वृद्धि होगी। 100 प्राथमिकता वाले शहरों के लिए सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटीज मिशन तथा 500 शहरों के लिए अटल पुनरुद्धार एवं शहरी परिवर्तन मिशन (एएमआरयूटी) का लक्ष्य, शहरी परिवर्तन को मजबूत करने के लिए सुव्यवस्थित प्रशासन के साथ अनिवार्य सुविधाओं का विस्तार करना है।[9]

10. **बुनियादी सुविधा की आवश्यकताएं तथा अंतराल।** भारत के बुनियादी ढांचे के घाटे की आपूर्ति की लागत लगभग 230 बिलियन प्रति वर्ष है।[10] यहां वित्तपोषण तथा संस्थागत क्षमताओं में बड़े अंतर हैं। कुछ राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति लगातार दबाव में है। इसी बीच, बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र की भागीदारी में 2010 में 55 अरब डालर से अधिक की गिरावट आई थी, जो 2015 में 5 अरब डालर थी, क्योंकि पहले के सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) निवेश की अनिष्पादनीय बुनियादी ढांचे की परिसम्पत्तियों में वृद्धि दर्ज की गई।[11] केन्द्र सरकार कर संग्रह तथा व्यय वितरण की कार्यकुशलता बढ़ाकर तथा राज्यों (पैरा 6) के लिए अधिक संसाधनों का विकास कर राजकोषीय स्थिति को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रही है। सरकार पीपीपी संस्थानों का सुदृढ़ीकरण करने, बेहतर संविदात्मक तौर–तरीकों को बढ़ावा देने, जोखिमों का उचित आबंटन करने तथा प्रगति निगरानी व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करने द्वारा पीपीपी को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि सीमित राजकोषीय स्थिति वाले राज्यों को अपनी निवेश लागत–वसूली क्रियाविधियों का सुदृढ़ीकरण करते समय व्ययों को युक्तिसंगत बनाने तथा राजस्व को गतिमान बनाने की जरूरत है। शहरी स्थानीय निकायों को अपने राजस्व स्रोतों और निजी पूंजी को तीव्रता से उपयोग में लाने की आवश्यकता है।[12]

11. बहुत से सरकारी संस्थानों, विशेषकर निचले स्तर के संस्थानों में अभी भी समयबद्ध और कार्यकुशल तरीके से और अच्छे अनुबंध प्रबंधन सहित किसी गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे की योजना बनाने, उसका क्रियान्वयन करने तथा उसे दीर्घजीवी बनाने की क्षमता का अभाव है। शासकीय दिक्कतें भी अनुपालन प्रवर्तन को कमजोर करती हैं। इसके अलावा संवैधानिक अनुमोदनों में होनेवाले विलंब जैसे कि पर्यावरण, वानिकी और भूमि अधिग्रहण अनुमोदनों में होनेवाले विलंब सार्वजनिक और निजी उपक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को निरंतर दुष्प्रभावित करते हैं। यह सब कुछ दर्शाता है कि हमें इन क्षेत्रों में अपनी क्षमता बढ़ाने और तेजी से अंतर–अभिकरणीय समन्वयन विकसित करने की अति आवश्यकता है।

---

5 समावेशी और सतत वृद्धि आकलन (परिशिष्ट 3 में जुड़े दस्तावेजों की सूची से सुलभ), पैरा 37

6 भारत में लॉजिस्टिक्स लागतें जीडीपी की कुल 13% हैं, जो अत्याधुनिक देशों की तुलना में लगभग 30% अधिक हैं।

7 नीति आयोग की वेबसाइट http://niti.gov.in/state-statistics (अभिगमन 14 जुलाई 2017 को)

8 समावेशी और सतत वृद्धि आकलन, पैरा 30 (परिशिष्ट 3 में जुड़े दस्तावेजों की सूची से सुलभ)।

9 एएमआरयूटी http://amrut.gov.in; तथा स्मार्ट सिटीज मिशन http://smartcities.gov.in/content

10 एडीबी। 2017. *एशिया की बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है।* मनीला। यह राशि राजकोषीय वर्ष 2012– राजकोषीय वर्ष 2013 के दौरान निवेशित जीडीपी के 5.5% की तुलना में जीडीपी के 7.1% के समकक्ष है।

11 क्रियान्वयन विलंब, अपेक्षित राजस्व की तुलना में कम राजस्व प्राप्ति तथा निवेशकों द्वारा वहन किए गए अन्य जोखिमों के कारण ही यह अनेक पीपीपी परियोजनाओं की कमजोर व्यावहारिकता से जुड़ा हुआ है।

12 समावेशी और सतत वृद्धि आकलन, पैरा 31 (परिशिष्ट 3 में जुड़े दस्तावेजों की सूची से सुलभ)।

12. **निजी क्षेत्र का विकास।** कॉर्पोरेट सकल स्थिर पूंजी निर्माण राजकोषीय वर्ष 2011–राजकोषीय वर्ष 2013 के दौरान जीडीपी के 11.6% के एक औसत की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2015 में जीडीपी के 11.0% तक कम हुआ है। बैंकिंग क्षेत्र में अनिष्पादनीय परिसम्पत्तियों तथा पुनर्पूंजीकरण आवश्यकताओं के बढ़ने के कारण निजी क्षेत्र का विकासानुकूल प्रदर्शन निरंतर प्रभावित हो रहा है। इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए सरकार बैंकों की भारग्रस्त परिसम्पत्तियों का समाधान करने के लिए नियामक निगरानी का सुदृढ़ीकरण कर रही है। सरकार ने विदेशी तथा देशी निवेशकों हेतु भारत को अधिक आकर्षक निवेश–स्थल बनाने के लिए बड़े सुधार भी प्रारंभ किए हैं (पैरा 5)। इस योगदान के कारण राजकोषीय वर्ष 2016 में भारत में एफडीआई का रिकॉर्ड प्रवाह हुआ।[13] इस विकासपरक प्रवृत्ति को प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाते हुए विनिर्माण तथा रोजगार के त्वरित विकास में ढालने की आवश्यकता है। अंत में सरकार को आर्थिक गलियारों द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसरों का विस्तार करने की आवश्यकता है ताकि बुनियादी ढांचे, कारोबारी माहौल और एक एकीकृत तरीके से जुड़ी हुई वैश्विक बाजार श्रृंखला, जो सामूहिक आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न उत्पादकता फायदों का लाभ उठा रही है, की बाधाओं को दूर किया जा सके। सरकार ऐसी निर्यातोन्मुख तथा उत्पादक विनिर्माण एफडीआई को भी बढ़ावा दे रही है, जो वैश्विक बाजार से जुड़ी हुई है तथा जिसमें तकनीकी और प्रबन्धकीय विशेषज्ञता भी है।

13. **गरीबी कम करना तथा समावेशी आर्थिक विकास।** भारत की गरीबी दर राजकोषीय वर्ष 2004 में 37.2% से गिरकर राजकोषीय वर्ष 2011 में 21.9% हो गई थी।[14] इससे पूर्ण गरीबों की संख्या में 137 मिलियन की कमी आई है। इसी तरह गिनी गुणांक द्वारा मापे गए अनुसार असमानता में ग्रामीण क्षेत्रों में राजकोषीय वर्ष 2004 में 0.27 की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2011 में 0.28 की मामूली वृद्धि हुई है तथा यह शहरी क्षेत्रों में 0.35 से 0.37 तक बढ़ी। यद्यपि भारत ने अधिकाधिक मिलेनियम विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया है तथापि 2015 में 0.62 के हिसाब से अंकित इसका मानव विकास सूचकांक विकासशील देशों के मध्यम अंकन (0.67) से कम था। उच्च तथा निम्न आय वाले राज्यों के बीच बढ़ता अंतर पुरानी और प्रमुख चिंता बनी हुई है।[15] अतः गरीबी को तेजी से कम करने के लिए उन निम्न आय वाले राज्यों को लक्षित कर विकास कार्य किए जाने की जरूरत है, जहां अधिकाधिक गरीब रहते हैं। सरकार ने इस विषय को कुछ कार्यक्रमों के साथ अपनी प्राथमिकता सूची में रखा है – (i) ग्रामीण सड़क संपर्क का विस्तार तथा सन् 2019 तक सभी गांवों को निर्बाध बिजली पहुंचाना, (ii) एक राष्ट्रीय पहचान आधारित डिजिटल मंच का इस्तेमाल करते हुए तेजी से वित्तीय समावेशन करना, तथा (iii) इन राज्यों में स्मार्ट और एएमआरयूटी सिटीज की आर्थिक विकास केन्द्रों के रूप में स्थापना करना। मूल सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा तथा स्वास्थ्य तक सभी की पहुंच को अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा ऐसी सेवाओं की गुणवत्ता और इनके परिणामों में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सम्बद्ध अभिकरणों की क्षमताओं को भी अवश्य बढ़ाया जाना चाहिए।

14. **लैंगिक समानता।** संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी संकेतकों के आधार पर भारत ने लैंगिक समानता के कुछ आयामों पर अच्छी प्रगति की है, इनमें सम्मिलित हैं (i) मातृ मुत्यु दर, जहां 2007–2009 में यह 212 (प्रति 100,000 जीवित जन्म) थी, वहीं 2011–2013 में इसके अनुपात में 167 के एक औसत तक कमी आई है; (ii) साक्षरता, इसमें साक्षरता दर में 74.0% का सुधार हुआ है तथा लैगिंक अंतर में 16.7% अंकों की कमी आई है; (iii) स्थानीय शासन–प्रशासन संरचनाओं में महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना। ग्रामीण परिषद् के प्रतिनिधियों में से 46.7% प्रतिनिधि महिलाएं हैं;[16] तथा (iv) बुनियादी सेवाओं तक पहुंच, जिसके अंतर्गत नल से पानी प्राप्त करनेवाले परिवारों में 43.5% तथा शौचालयों से युक्त घरों में 46.9% का सुधार हुआ है। हालांकि 7 वर्ष से छोटे बच्चों के लिंगानुपात में 2001 में 934 की तुलना में 2011 में 918 की कमी हुई है।[17] भारत के संगठित क्षेत्र में महिला रोजगार की स्थिति पहले जितनी ही 20.5% कम है। परिसम्पत्तियों में कम मालिकाना हक, विशेषकर भूमि में महिलाओं के स्वामित्वाधिकार की कमी आधुनिक विस्तार सेवाओं, प्रशिक्षण, नई प्रौद्योगिकियों तथा ऋण तक उनकी पहुंच को प्रभावित करती है। सरकार ने अर्थव्यवस्था में महिलाओं की समान भागीदारी बढ़ाने तथा हिंसा से उनकी सुरक्षा करने जैसे कदमों को प्राथमिकता में रखा है।[18]

---

13 समावेशी और सतत वृद्धि आकलन (परिशिष्ट 3 में जुड़े दस्तावेजों की सूची से सुलभ), पैरा 20

14 राष्ट्रीय गरीबी रेखा पर आधारित हैं। नवीनतम गरीबी आंकड़ें राजकोषीय वर्ष 2011 हेतु हैं।

15 पांच उच्च–आय वाले राज्यों (गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु) में प्रति व्यक्ति आय में राजकोषीय वर्ष 2012–राजकोषीय वर्ष 2016 के दौरान 6.0% की वृद्धि हुई है। पांच बड़े निम्न–आय वाले राज्यों (बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा उत्तर प्रदेश), जहां देश के 54% गरीब रहते हैं, वहां उक्त अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में 5.0% की ही वृद्धि हुई।

16 विश्व बैंक के स्पष्ट आंकड़े। राष्ट्रीय संसद में महिलाओं को प्राप्त सीटों का समानुपात (%)

http://data.worldbank.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS?end=2015andstart=2015andview=map.

17 रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त, भारत का कार्यालय। 2011. *भारत की जनगणना* / नई दिल्ली

15. **क्षेत्रीय तथा वैश्विक एकीकरण।** अपनी भौगोलिक अवस्थिति के साथ–साथ अपने बाजार और उत्पादन के संभावी आकार को देखते हुए, भारत अवसरों का लाभ उठाने तथा क्षेत्रीय और वैश्विक एकीकरण के संवर्द्धन का नेतृत्व करने के लिए सही स्थिति में है। सरकार उप–क्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय तंत्र, जैसे कि दक्षिण एशिया उप–क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) तथा बहु–क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग हेतु बे ऑफ बंगाल पहल, का इस्तेमाल करते हुए परिवन, ऊर्जा तथा व्यापार सरलीकरण कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। ये तौर–तरीके भारत के कम विकसित पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों को बेहतर संपर्क माध्यमों (परिवहन, ऊर्जा, पर्यटन तथा व्यापार) की मदद से बांग्लादेश, भूटान, नेपाल तथा म्यांमार के साथ जोड़ते हैं। एसएएसईसी के लिए एक दीर्घकालिक परिकल्पना तथा कार्यनीति को अंतिम रूप देने हेतु अग्रणी प्रयास करने के उपरान्त भारत परिकल्पना के प्रमुख कदमों का त्वरित क्रियान्वयन करने के लिए उद्यम कर रहा है। भारत, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों तथा पूर्वी एशियाई देशों के संघ के साथ व्यापार तथा निवेश प्रवाह बढ़ाने के लिए एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अनुसरण भी कर रहा है। विनिर्माण निर्यात को बढ़ाने के लिए वैश्विक बाजारों तक निःशुल्क व्यापार पहुंच भी जरूरी है।

16. **पर्यावरणीय स्थिरता तथा जलवायु परिवर्तन।** वायु एवं जल प्रदूषण, शहरी भीड़–भाड़, वन हानि तथा जर्जर होते जल स्रोत आज विभिन्न पर्यावरणीय नुकसान के रूप में एक प्रमुख चुनौती बन कर उभरे हैं। भू–जल का अतिदोहन भी एक गंभीर समस्या है।[19] पर्यावरणीय अधोगति की लागत जीडीपी के लगभग 5.7% है।[20] भारत उन देशों में से एक है, जिसके तटवर्ती हिस्सों से लेकर हिमालय पर्वतों तक फैले भूभाग जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के हिसाब से अतिसंवेदनशील हैं।[21] इन भूभागों की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता भी ज्यादा है। सरकार ने 2015 में दलों के सम्मेलन के 21वें सत्र में अपनी आईएनडीसी जारी की थी, जिसमें राहत तथा अनुकूलन कार्यों का विस्तृत विवरण दिया गया। भारत तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ा रहा है तथा कोयला और जीवाश्म ईंधन पर स्वच्छ ऊर्जा करों को लगा एवं बढ़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम के तहत भारत का मूल्यांकन ऐसे देश के रूप में किया गया है, जो 2020 तक पर्यावरण सुधार की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने की ओर अग्रसर है।[22] अनुकूलन के संदर्भ में, आईएनडीसी ने शहरी पर्यावरण में सुधार लाने, देशभर में पर्यावरण के संबंध में लचीला रुख बनाए रखने तथा एकीकृत और ज्ञानाधारित योजना एवं प्रबंधन के माध्यम से जल तथा प्राकृतिक संसाधनों को स्थिर बनाए रखने के लिए कुछ उपाय किए हैं।

III . देश रणनीति रूपरेखा

क. पूर्ववर्ती रणीनीति से सीख

17. भारत के लिए संचालित राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम मूल्यांकन (सीएपीई) से 2007–2015 में एडीबी की कार्यनीति तथा कार्यक्रम का *सफल* मूल्यांकन हुआ है।[23] इसने मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रमों (परिवहन, ऊर्जा, जल एवं शहरी पर्यावरण, वित्त तथा सार्वजनिक क्षेत्र का प्रबंधन) तथा निजी क्षेत्र के कार्यक्रमों को *सफलतापूर्वक* संपन्न किया। हालांकि कई कार्यक्रम अपेक्षानुरूप संपन्न नहीं हो सके। अनेक परियोजनाओं में समय ज्यादा लगने के कारण क्रियान्वयन का मूल्यांकन कार्यकुशल से कम हुआ। हालांकि सीएपीई ने एडीबी की दीर्घकालीन कार्यव्यस्तता के माध्यम से पड़नेवाले सकारात्मक क्षमता विकास प्रभावों को स्वीकृत किया है।

---

18 भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 2016. *महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति 2016: महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक परियोजना को सुस्पष्ट करना (प्रारूप)। दिल्ली।*

19 उपयुक्त उपायों के बिना भूजल का अतिदोहन सन् 2025 तक संभवतः भारत के 60% भू जलस्रोतों को प्रभावित कर सकता है।

20 विश्व बैंक। 2013. *भारत : चयनित पर्यावरणीय चुनौतियों का नैदानिक समाकलन–पर्यावरणीय स्वास्थ्य तथा प्राकृतिक संसाधनों के वास्तविक तथा मौद्रिक हानियों का एक विश्लेषण। वाशिंगटन डीसी।*

21 भारत सन् 2050 तक अपनी वार्षिक जीडीपी के 1.8% के बराबर हानि उठा सकता है। एम. अहमद तथा एस. सुफाचालासी। 2014. दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन तथा अनुकूलन की लागतों का आकलन करते हुए। मनीलाः एडीबी।

22 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। 2016. *उत्सर्जन अंतर प्रतिवेदन 2016.* नैरोबी।

23 एडीबी। 2017. *राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम मूल्यांकन : भारत, 2007–2015.* मनीला। सीएपीई ने कृषि, प्राकृतिक संसाधनों तथा ग्रामीण विकास; शिक्षा; तथा स्वास्थ्य के अन्तर्गत चल रही परियोजनाओं का मूल्यांकन नहीं किया, क्योंकि इन क्षेत्रों की अधिकांश परियोजनाएं मूल्यांकन अवधि के द्वितीय चरण में अनुमोदित की गई थीं तथा वे अभी भी चल रही हैं।

18. सीएपीई ने निम्नलिखित कार्यनीतिक संस्तुतियां की हैं : (i) सीएपीई नवीन सीपीएस में समावेशी आर्थिक विकास दृष्टिकोण का स्पष्ट उल्लेख करता है; (ii) जलवायु परिवर्तन, विशेषकर अनुकूलन; तथा आरसीआई, क्षेत्रीय सार्वजनिक वस्तुओं के अतिरिक्त बुनियादी ढांचे सहित, हेतु निर्धारित कार्यक्रमों पर कार्यनीतिक ध्यान केंद्रित करना; तथा (iii) ज्ञान आवश्यकताओं की पहचान को मजबूत करना, नवप्रवर्तन पर ध्यान लगाना तथा एक प्रभावी क्षमता विकास कार्यनीति की अभिकल्पना तथा क्रियान्वयन। प्रचालनात्मक संस्तुतियां इस प्रकार थीं (i) क्रियान्वयन बाधाओं तथा निम्न संविरण अनुपात के कारणों को पहचान कर प्रक्रियागत कार्यकुशलता में सुधार करना; (ii) अच्छे कार्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने तथा उनका प्रसार करने के दौरान गहन निगरानी के साथ लैंगिक कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन; (iii) पीपीपी व्यवस्थापनों तथा संस्थानों को मजबूत करने में सहायक बनने के दौरान बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय मध्यवर्ती ऋणों की निगरानी में सुधार करना; तथा (iv) गैर स्वायत्त प्रचालनों के रद्दीकरण की उच्च दर को संबोधित करें। इन्हें नई सीपीएस में दर्शाया गया है।

ख. राष्ट्रीय विकास रणनीति

19. **प्रमुख विकास लक्ष्य।** सरकार अपनी 5 वर्षीय राष्ट्रीय विकास योजना के स्थान पर एक 15 वर्षीय परिकल्पना (राजकोषीय वर्ष 2031 तक), एक 7 वर्षीय कार्यनीति (राजकोषीय वर्ष 2023 तक) तथा एक 3 वर्षीय कार्यक्रम (राजकोषीय वर्ष 2017–राजकोषीय वर्ष 2019) का आरंभ कर रही है।[24] इस उभरती हुई परिकल्पना का लक्ष्य समृद्धि पाना, गरीबी हटाना, समानता, स्वच्छता, पारदर्शिता, रोजगार, लैंगिक समानता तथा आशावाद जैसे आदर्शों की स्थापना करना है। राजकोषीय वर्ष 2031 तक सरकार के लक्ष्य में 8% वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि सम्मिलित है, जिससे जीडीपी में 7.5 खरब डॉलर की वृद्धि होगी और गरीबी की दर 5% से नीचे आएगी।[25] यह परिकल्पना राष्ट्रीय तथा राज्यों के लक्ष्य को भी निर्धारित करेगी जिससे एसडीजी को आगे बढ़ाने की भारत की प्रतिज्ञा भी पूरी की जा सकेगी।

20. **विकास रणनीति** परिकल्पना तथा इसके लक्ष्यों की रूपरेखा के भीतर सरकार की विकास कार्यनीति के प्रमुख तत्व, 3 वर्षीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलितानुसार इस प्रकार हैं : (i) राजकोषीय अनुशासन तथा अधिक कार्यकुशल कर संग्रह और लाभ वितरण के माध्यम से समष्टि अर्थशास्त्र का विवेकपूर्ण ढंग से प्रबंध करना; (ii) वित्तीय समावेशन का तीव्र विस्तार करने के लिए 5 वर्षों के अंदर कृषि आय को दोगुना करते हुए प्रमुख उद्योगों को परिवर्तित करना तथा विनिर्माण और आधुनिक सेवा क्षेत्रों में तेजी से अच्छा वेतन देनेवाली नौकरियों का सृजन करना; (iii) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी संरचना को समर्थ बनाने के लिए विकास का तेजी से विस्तार करना, इसमें सभी के लिए मितव्ययी आवासन में बड़े निजी निवेश सम्मिलित हैं; (iv) वितरण की दक्षता तथा गुणवत्ता में ठोस सुधार के साथ सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा) तक पहुंच सुनिश्चित करना; (v) शासन प्रणाली को सुदृढ़ करना, भ्रष्टाचार रोकना तथा संस्थागत क्षमता और प्रणालियों को विकसित करना; तथा (vi) बढ़ती पर्यावरण संबंधी चुनौतियों और जलवायु परिवर्तन समस्याओं के समाधान ढूंढना।

21. **रणनीति का क्रियान्वयन करने हेतु प्रमुख पहल।** इन प्रमुख कार्यों के माध्यम से तीव्र औद्योगिकीकरण तथा रोजगार सृजन किया जा रहा है (i) प्रसिद्ध औद्योगिक कॉरीडार्स तथा/अथवा क्षेत्रों द्वारा मेक इन इंडिया पहल तथा सुगम व्यापारिक माहौल बनाने हेतु व्यवस्थित निवेश तथा सुधार किए जा रहे हैं (पैरा 7); (ii) सागरमाला परियोजना, बंदरगाह–संचालित औद्योगिकीकरण परियोजना जिसका लक्ष्य प्रचालन–तंत्र (लॉजिस्टिक्स) की लागतों को अर्थपूर्ण ढंग से कम करके बंदरगाह की सुविधाओं का विस्तार करना है; तथा (iii) कौशल भारत पहल, जिसका लक्ष्य लोगों के कौशल को सुधार कर रोजगार उत्पन्न करना है। स्मार्ट सिटीज तथा एएमआरयूटी कार्यक्रम (पैरा 9) देशभर में गतिशील आर्थिक विकास केंद्रों की स्थापना करेगा, जबकि स्वच्छ भारत अभियान (क्लीन इंडिया मिशन) का लक्ष्य खुले में शौच की दुष्प्रवृत्ति को मिटाना तथा स्वस्थ शहरी और ग्रामीण पर्यावरण को बनाने में योगदान करना है। सभी के लिए बिजली पहल योजना के तहत सन् 2019 तक सभी ग्रामीण परिवारों को निर्बाध बिजली पहुंचाई जानी है। इस बीच प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का लक्ष्य सन् 2019 तक सभी ग्रामीण गांवों के लिए ग्रामीण संपर्क का विस्तार करना है।[26] जन–धन–आधार–मोबाइल पहल के अंतर्गत जन धन के डिजिटल बैंक खातों, आधार राष्ट्रीय पहचान प्रणाली तथा मोबाइल फोनों को आपस में जोड़ने से तीव्र वित्तीय समावेशन हो रहा है।

---

24 नई प्रक्रिया का नेतृत्व नए नीति नियंता, नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, द्वारा किया जा रहा है, जिसकी स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी तथा जिसने योजना आयोग का स्थान लिया है।

25 अरविंद पनगढ़िया। 2017. *भारत 2031–32: परिकल्पना, कार्यनीति तथा कार्यक्रम।* नीति आयोग की संचालन परिषद् की तृतीय बैठक में प्रस्तुतिकरण।

26 पीएमजीएसवाई मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों अथवा अधिक जनसंख्या वाली तथा पहाड़ी राज्यों और आदिवासी एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 व्यक्तियों अथवा अधिक जनसंख्या वाली सभी बस्तियों को जोड़ेगी।

यह पहल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य लोक प्रशासन कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल मंचों का उपयोग करना है। राष्ट्रीय सौर मिशन का लक्ष्य भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को जून 2017 तक प्राप्त 13.1 गीगावाट से बढ़ाकर 2022 तक 100 गीगावाट करना है[27] तथा इससे भारत की आईएनडीसी प्रतिबद्धता में कुछ योगदान दिया जा सकेगा, जिसके तहत भारत को गैर–जीवाश्म–ईंधन से संस्थापित ऊर्जा संसाधनों का 40% उपयोग करना है।

ग. विकास भागीदारों की भूमिका

22. **विकास सहायता।** भारत के जो प्रमुख विकास भागीदार हैं, उनमें एडीबी, एजेंस फ्रांसिज द डिवेलपमेंट, द जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी, केएफडब्ल्यू तथा विश्व बैंक शामिल हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेन्ट बैंक तथा न्यू डिवेलपमेंट बैंक भी नवीन बहुपक्षीय वित्तपोषण अभिकरणों के रूप में विकास सहायता अभियान से जुड़ चुके हैं। विकास साझीदारों का ध्यान मुख्य रूप में बुनियादी ढांचे के सुधार पर है। हालांकि विश्व बैंक का अपनी रियायती वित्तपोषण सुविधा, जिसे फिलहाल धीर–धीरे हटाया जा रहा है, के माध्यम से सामाजिक सेवाओं (स्वास्थ्य तथा शिक्षा) और ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने के कार्यों में बहुत बड़ा योगदान रहा है।[28] इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र अभिकरण सामाजिक तथा पर्यावरण के क्षेत्र में विशेषीकृत तकनीकी सहायता उपलब्ध कराते हैं।[29] वित्त मंत्रालय सरकार का केन्द्रक अभिकरण है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए भारत के विकास साझीदारों के साथ समन्वयक तथा परामर्शक की भूमिका में रहता है कि देश के विकास कार्यक्रम तथा केन्द्र और राज्य सरकारों तथा क्षेत्रों की प्राथमिकताओं पर विचार करने के बाद विकास साझीदार भारत में प्रभावी और प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराएं।

23. राजकोषीय वर्ष 2015 में कुल विदेशी सहायता जीडीपी के 3.9% के कुल सरकारी निवेश की तुलना में लगभग 9.61 अरब डॉलर अथवा जीडीपी के 0.46% थी।[30] विदेशी सहायता के छोटे अनुपात को देखते हुए सरकारी मार्गदर्शन सिद्धांत विशेषज्ञता और एकाग्रता, उच्च गुणवत्ता वाली अभिकल्पना, सशक्त कार्यकारी निष्पादन, अभिनव वित्तीय संरचना तथा स्थायी प्रभाव के माध्यम से विकास साझीदारों द्वारा संचालित वित्तपोषण को अत्यधिक मूल्यवान बनाने अथवा ''वित्त वृद्धि'' का अनुसरण करने को कहता है। विशिष्ट क्षेत्र जो इसमें शामिल हैं (i) सुधार तथा क्षमता विकास जो कि परिवर्तन को गति देगा; (ii) ज्ञान समाधान और नवप्रवर्तन, नवीन प्रौद्योगिकियों सहित, प्रभावोत्पादकता के लिए जिनका प्रदर्शन तथा प्रसारण किया जा सकता है; तथा (iii) तृतीय पक्षों से सबसे बड़े वित्तीय संसाधन पाने के लिए परियोजना संस्थाओं हेतु वित्तीय उपकरण तथा क्रियाविधियां। एडीबी इन वित्त–पोषक कारकों को पारस्परिक रूप में सीखने, इन्हें एकरूप करने, दोहराने तथा इनका संवर्द्धन करने के लिए सरकार तथा भारत के विकास और विचारक साझीदारों के साथ कार्य करेगा।

घ. एडीबी के रणनीतिक तथा विषयक उद्देश्य, और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की प्रचालनात्मक प्राथमिकताएं

24. **देश भागीदारी रणनीति उद्देश्य।** एडीबी सरकार के तीव्र, समावेशी तथा स्थायी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा। साथ ही वह तीव्र आर्थिक परिवर्तन तथा रोजगार सृजन में सहायक होने के साथ–साथ एसडीजी को प्राप्त करने में भारत की प्रतिज्ञा को देखते हुए भी कार्य करेगा।[31] सहायता कार्यक्रमों का जोर उन क्षेत्रों पर होगा जहां एडीबी तुलनात्मक रूप में अधिक लाभप्रद स्थिति में है। इसके पास तीन कार्यनीतिक आधार (आंकड़े) होंगे : (i) अधिक तथा बेहतर रोजगार सृजित करने के लिए आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाना, (ii) बुनियादी कार्यक्रमों तथा सेवाओं तक समावेशी पहुंच उपलब्ध कराना, तथा (iii) जलवायु परिवर्तन तथा बढ़ती जलवायु अस्थिरता के समाधान ढूंढना।

---

27 भारत सरकार। नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। जून 2017. *राज्य सभा के प्रश्न का प्रत्युत्तर।* (देखें http://164.100.47.5/qsearch/QResult.aspx)

28 भारत को जून 2014 में विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता (आईडीए) द्वारा क्रम में रखा गया था, परंतु इसे आईडीए 17 अवधि (1 जुलाई 2014–30 जून 2017) के दौरान आपवादिक आधार पर माध्यमिक सहायता प्राप्त हुई थी।

29 इसमें संयुक्त राष्ट्र के तकनीकी अभिकरण शामिल हैं जैसे कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय निधि (आईएफएडी)।

30 कुल सरकारी निवेश में केन्द्र तथा राज्य सरकारों का निवेश शामिल है। इसमें सार्वजनिक वित्तीय तथा गैर–वित्तीय कम्पनियों का निवेश शामिल नहीं है।

31 सीपीएस प्रत्यक्ष रूप में एसडीजी 6 (स्वच्छ जल एवं स्वच्छता), 7 (मितव्ययी तथा स्वच्छ ऊर्जा), 8 (उपयुक्त कार्य तथा आर्थिक विकास), 9 (उद्योग, नवाचार तथा संरचना) और 11 (स्थायी शहर और समुदाय) को प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा।

भारत के लिए देश भागीदारी रणनीति, 2018–2022 हेतु एडीबी के प्राथमिक आधार

आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से उच्चतर एवं समावेशी विकास

↑

अधिक एवं बेहतर रोजगार सृजित करने के लिए आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाना	*संरचना कार्यक्रमों तथा सेवाओं का समावेशी प्रावधान*	*जलवायु परिवर्तन का समाधान तथा जलवायु अनुकूलता वृद्धि*
• ट्रंक संरचना तथा प्रतिस्पर्द्धी शहरों के साथ आर्थिक गलियारे	• आंतरिक क्षेत्रों तथा कम आय वाले राज्यों में समावेशी संरचना	• जलवायु परिवर्तन को कम करना
• उन्नत निवेश माहौल	• समावेशी शहरीकरण	• दीर्घकालिक प्राकृतिक संसाधन उपयोग
• बढ़ते कार्यबल की रोजगारपरकता तथा उत्पादकता में सुधार	• सिंचित कृषि संबंधी उत्पादकता तथा ग्रामीण आय में वृद्धि	• जलवायु तथा आपदा अनुकूलता
	• सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन में सुधार	

प्राथमिक तथा द्वितीयक सहायता। *क्रियान्वयन तथा स्थिरता को बढ़ाने के लिए कार्यनीतिक अध्ययनों में परिवर्तन परियोजना तथा क्षमता विकास हेतु आधार बनाने होंगे।*
क्रॉस–कटिंग विषय : *निजी क्षेत्र का विकास, क्षेत्रीय सहयोग एवं एकीकरण को अत्यधिक बढ़ाना तथा लैंगिक समानता का संवर्द्धन करना।*

एडीबी : एशियाई विकास बैंक।
स्रोत : एशियाई विकास बैंक।

25. **एडीबी का मूल्य परिवर्द्धन ।** सीपीएस का संचालन प्राथमिक–द्वितीयक कार्यनीतिक अध्ययनों द्वारा किया जाएगा, जो उच्च–प्राथमिकता वाले निवेशों तथा सम्बद्ध नीति सलाह की पहचान करेंगे। एडीबी, शहरी संरचना में निजी निवेशों का लाभ लेने के लिए नगर निगम सुधारों का समर्थन करने जैसी बहु–आयामी विकास चुनौतियों का सामना करने के लिए क्षेत्र तथा विषय–संबंधी सीमाओं के अलावा एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाएगा। एडीबी, क्षमता विकास में सहायता करने, विशेष रूप में अनुभवहीन अभिकरणों के अन्तर्गत संरचना और सेवाओं में उपस्थित सूक्ष्म अंतरालों का समाधान करने में सहायता करने हेतु निम्न–आय वाले राज्यों के साथ अपनी कार्यव्यस्तता को मजबूत करेगा।

1. रणनीतिक आधार

26. **आधार 1 : अधिक तथा बेहतर रोजगार सृजित करने के लिए आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाना।** आर्थिक गलियारों की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए एक तीन आयामी दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा : (i) आर्थिक गलियारों में ट्रंक संरचना तथा प्रतिस्पर्द्धी शहरों का निर्माण, (ii) औद्योगिक विकास हेतु निवेश माहौल में सुधार करना, तथा (iii) बढ़ते कार्यबल की रोजगार कार्यव्यस्तता तथा उत्पादकता बढ़ाना।

27. **ट्रंक संरचना तथा प्रतिस्पर्द्धी शहरों के साथ आर्थिक गलियारे ।** एडीबी, भारत के आर्थिक परिवर्तन का संचालन करने के क्रम में, आर्थिक गलियारों तथा तटवर्ती आर्थिक क्षेत्रों जैसे पूर्व तटवर्ती आर्थिक गलियारा का विकास करने के लिए कार्यनीतिक योजना अध्ययन का समर्थन करता रहेगा। कार्यनीतिक योजनाओं के अनुरूप एडीबी, भारतीय शहरों उनके समूहों तथा औद्योगिक नोड्स को प्रतिस्पर्द्धी

बनाने, उन्हें अच्छी तरह से जोड़ने तथा एक स्वच्छ जीने योग्य वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निवेश को समर्थन देगा। यह राष्ट्रीय तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं, हाई–वोल्टेज विद्युत ऊर्जा पारेषण प्रणालियों तथा तीव्र वितरण प्रणालियों को औद्योगिक नोड्स के साथ जोड़ने के लिए ट्रंक संरचना–जैसे रेलवे, एक्सप्रेसवे, बंदरगाहों तथा लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के निर्माण को अपरिहार्य बना देगा। इससे सरकार की मेक इन इंडिया पहल तथा सागरमाला परियोजना के साथ–साथ एक्ट ईस्ट और राष्ट्रीय विनिर्माण नीतियों को भी सहायता मिलेगी। शहरी निवेश सरकार की स्मार्ट सिटीज पहल को महत्वपूर्ण बनाने पर केंद्रित होंगे। एडीबी दीर्घकालीन शहरी विकास योजना तथा आधारभूत शहरी संरचना निवेश का समर्थन करेगा, जिसमें बहुआयामी सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं तथा तीव्र परिवहन प्रबंधन भी शामिल है। चूंकि कॉरीडोर्स कई राज्यों से गुजरेंगे, इसलिए एडीबी क्रमबद्ध ढंग से विशिष्ट शहरों तथा समूहों में स्थित बड़े क्षेत्रों तथा/अथवा बहुक्षेत्रीय परियोजनाओं में क्षेत्रवार निवेश समूहों के माध्यम से बड़े पैमाने की संरचना निवेश को दी जानेवाली सहायता में वृद्धि करेगा।

28. **सुधरा निवेश माहौल ।** एडीबी, नीति तथा कार्यनीतिक सलाह प्रदान करेगा तथा विशिष्ट रूप में कोरीडोर्स में औद्योगिक समूहों का विकास करने के लिए किए जा रहे उपायों के क्रियान्वयन में सहायता करेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नियोजित बड़ी संरचना लाभप्रद रहे तथा व्यवसायों और उद्योगों को आकर्षित करें। सहायता इस प्रकार दी जाएगी (i) कोरीडोर प्रबंधन के लिए संस्थानों का क्षमता विकास; (ii) व्यवसाय संचालन की सुगमता में निरंतर सुधार के उपाय करना, जैसे कि ई–व्यवसाय और एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल्स का आरंभ करना; तथा (iii) औद्योगिक तथा क्षेत्रीय नीति को मजबूत करना। प्रमुख नगरपालिकाओं को सहायता देने से उनकी वह वैचारिक क्षमता बढ़ेगी, जिसके तहत सही भूमि उपयोग योजना के माध्यम से राजस्व संचालन हो सके तथा नगर निगम कर प्रणालियां उन्नत हो सकें। इसका उद्देश्य नगर निगम क्षेत्र की परियोजनाओं की बैंकिंग क्षमता को बढ़ाना है, ताकि प्रत्यक्ष सार्वजनिक क्षेत्र परियोजना वित्त को कम किया जा सके तथा अंततः वित्तीय मध्यस्थता लागू कर उसे बदला जा सके।

29. **बढ़ते कार्यबल की रोजगारपरकता तथा उत्पादकता में सुधार ।** बढ़ते कार्यबल की रोजगारपरकता तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए एडीबी तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण (टीवीईटी) को निरंतर सहायता प्रदान करता रहेगा। एडीबी, टीवीईटी को सुधारने तथा उसका प्रवर्धन करने, औद्योगिक रोजगारपरकता को मजबूत करने तथा टीवीईटी गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इन कदमों से उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना हो सकेगी। राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अनुरूप एडीबी, नवोन्नत टीवीईटी संरचना का निर्माण कर, प्रशिक्षण प्रासंगिकता बढ़ाकर, प्रमाणन विश्वसनीयता को मजबूत कर (परिणाम–आधारित प्रशिक्षण प्रतिमानकों की स्थापना कर तथा प्रशिक्षकों की योग्यता बढ़ाकर) और राज्य अभिकरणों की सांस्थानिक क्षमता मजबूत कर राज्यों की सहायता करेगा ताकि उनकी औद्योगिक आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। एडीबी इसके अलावा उच्च विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा का आरंभ करने, टीवीईटी संरचना में निजी क्षेत्र की भागीदारी का लाभ उठाने तथा प्रौद्योगिकी आधारित कौशल प्रशिक्षण (अर्थात् संरचना, विनिर्माण तथा उद्यमिता) का आरंभिक परीक्षण करने और उसे आगे बढ़ाने में भी सहायता करेगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थानों से होनेवाले जुड़ाव तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों पर सभी राज्यों के साथ किए जानेवाले परस्पर–शिक्षण को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

30. **आधार 2 : बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों तथा सेवाओं का समावेशी प्रावधान।** कम–आय वाले राज्यों के साथ साझेदारी बढ़ाने के माध्यम से एडीबी, आंतरिक क्षेत्रों–के–बाजार से जुड़ने पर ध्यान केंद्रित करने तथा शहरों और आंतरिक क्षेत्रों को समावेशी सेवाएं उपलब्ध कराने द्वारा क्षेत्रीयता के हिसाब से संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ाने में सहायता करेगा।

31. **आंतरिक क्षेत्रों तथा कम–आय वाले राज्यों में समावेशी बुनियादी ढांचा।** एडीबी, राज्यों तथा परिवहन और बिजली की आधी–अधूरी व्यवस्था वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा तथा संस्थान निर्माण में निवेश कर सहायता प्रदान करेगा। परिवहन क्षेत्र में एडीबी परियोजनाएं राज्य, जिला तथा ग्रामीण स्तरों पर सड़क सम्पर्क को सुधारने पर केंद्रित होंगी ताकि सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाया जा सके और उत्पादकता तथा आय को बढ़ाया जा सके। ग्रामीण सड़क विकास के लिए पीएमजीएसवाई के माध्यम से मिलने वाली सहायता निरंतर बनी रहेगी। एडीबी परियोजनाएं क्षमता विकास, सड़क सुरक्षा, स्थायी सड़क अनुरक्षण, अभिनव सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी पर केंद्रित होंगी। रेलवे में किए जानेवाले निवेश से स्थानीय उद्योगों को माल ढुलाई परिवहन सेवाओं तक सुगमता से पहुंचने में सहायता मिलेगी। बिजली क्षेत्र में एडीबी, सरकार के उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा, जिसके तहत गांवों को बिजली ग्रिड से जोड़कर सभी के लिए निर्बाध विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने हैं। एडीबी की सहायता से वितरण उपयोगिताओं के वित्तीय तथा तकनीकी निष्पादन में सुधार होगा क्योंकि इस सहायता के माध्यम से तीव्र ग्रिड प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल होगा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के साथ एकीकरण किया जाएगा तथा अनिवार्य सांस्थानिक क्षमता का विकास किया जा सकेगा। एडीबी, घरेलू इकाइयों के लिए स्थायी बिजली आपूर्ति को बढ़ावा देने हेतु कृषि तथा घरेलू इस्तेमाल के बीच फीडर पृथक्करण उपलब्ध कराने में भी सहायता प्रदान करेगा। परियोजना अभिकल्पना के अंतर्गत ऐसे उपायों को अपनाया जाएगा ताकि गरीबों को बेहतर बिजली

उपलब्ध हो सके, और इसी के साथ लोगों को बहु–विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से जल उपयोग कार्यकुशलता तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा

32. **समावेशी शहरीकरण।** एडीबी का शहरी क्षेत्र कार्यक्रम, कम आय वाले राज्यों की सहायता करने तथा नगर निगम संरचना (जलापूर्ति, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी परिवहन तथा यातायात प्रबंधन, पर्यटन संरचना और शहरी स्वास्थ्य सेवाएं) में निवेश को समर्थन देने द्वारा समावेशी विकास में सहयोग करेगा। एडीबी की सहायता से भारत आधारभूत सेवाओं की व्याप्ति, गुणवत्ता तथा निरंतरता को बढ़ाने के लिए एसडीजी प्राप्त कर लेगा। इसे सरकार के तीन प्रमुख शहरी कार्यक्रमों के समानांतर रखा गया है : स्मार्ट सिटीज अभियान, एएमआरयूटी तथा स्वच्छ भारत अभियान। इन कार्यक्रमों को संयुक्त सहायता दी जाएगी (i) नगर निगम सुधारों को बढ़ावा देना तथा प्रशासकीय सुधार करना, ई–प्रशासन प्रणाली अपनाने सहित; (ii) परियोजना क्रियान्वयन तथा उपयोगिता सेवा वितरण में यूएलबी की क्षमता का विकास करना; तथा (iii) राज्यों में वित्तीय मध्यस्थता करनेवाली संस्थाओं को विकसित करना। एडीबी कार्यक्रमों के अंतर्गत कुछ अभिनव कार्यप्रवृत्तियों को अपनाया जाएगा, जैसे निर्बाध तीव्र जलापूर्ति, निःशुल्क जलापूर्ति को कम करने के लिए स्मार्ट मीटरिंग और उनका प्रचालन, मल कीचड़ प्रबंधन, अपशिष्ट जल का पुनःउपयोग तथा प्रसंस्करण और अपशिष्ट–से–बिजली बनाने जैसी पहल। लक्षित गरीबी में कमी लाना (जैसे कि शहरी झुग्गी–बस्तियों में) तथा इसमें जीईएसआई मुख्यधारा वाले घटक समावेशन करने में सहायता करेंगे। मितव्ययी आवास तथा झुग्गी–झोपड़ी विकास जैसे कार्यक्रमों का निजी क्षेत्र के प्रचालन कार्यों के रूप में अन्वेषण किया जाएगा। एडीबी, शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली के विकास हेतु सरकार के प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगी, जिससे लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी तथा शहरी गरीबों और असुरक्षित लोगों तक भी ऐसी सेवाएं पहुंच सकेंगी।

33. **संवर्द्धित सिंचित कृषि उत्पादकता तथा ग्रामीण आय।** एडीबी किसानों की आय को दोगुणा करने तथा उन्नत जलोपयोग कार्यकुशलता प्राप्त करने के लिए सरकारी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। एडीबी ऐसी प्रमुख तथा मध्यम सिंचाई प्रणालियों का आधुनिकीकरण करने पर ध्यान लगाएगा, जो जलोपयोग उत्पादकता बढ़ाने के लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान करती हैं। यह बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करने, कार्यकुशलता सुधारने तथा स्थायी प्रचालन बनाए रखने और चयनित राज्यों में अनुरक्षण करने में नवाचारों का प्रदर्शन करेगा। इसके तहत बड़े पैमाने की योजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी का प्रदर्शन भी किया जाएगा।[32] सिंचाई आधुनिकीकरण का निर्माण, एडीबी कृषि उत्पादन को तीव्र करने तथा उसमें विविधता उत्पन्न करने तथा कृषक सहकारिता का गठन करने और निजी क्षेत्र को कृषि व्यवसाय एवं मूल्य–श्रृंखला कार्यक्रमों में निवेश करने हेतु प्रेरित करने द्वारा मूल्य श्रृंखलाओं का विकास करने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा। एडीबी, प्राथमिक रूप में निजी क्षेत्र के प्रचालनों के माध्यम से वित्तीय समावेशन तथा ग्रामीण आवासन के लिए सरकारी प्राथमिकताओं का समर्थन करने हेतु अवसरों का अन्वेषण करेगा। कृषि को मिलने वाली एडीबी की सहायता में राष्ट्र की मांग के हिसाब से बढ़ोत्तरी की जा सकती है।

34. **सुधरा सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन।** एडीबी राज्य, स्थानीय, क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र सहित) तथा परियोजनाओं के स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र संसाधन प्रबंधन की कार्यकुशलता को सुधारने में सहायता बढ़ाएगा। तीन क्षेत्रों पर बल दिया जाएगा। पहला, एडीबी राज्यों और यूएलबी को राजकोषीय स्थान बनाने और राजकोषीय एकीकरण के माध्यम से उचित राजकोषीय अनुशासन विकसित करने तथा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन की क्षमता का सुधार करने में सहायता प्रदान करेगा। सहायता में, मध्यम–अवधि व्यय की रूपरेखा के साथ बजटीय सुधार, पुनरावर्ती व्ययों एवं सहायिकियों का समीकरण तथा राज्य सरकारों और यूएलबी की राजस्व संघटन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण किया जाना शामिल है (पैरा. 28)। दूसरा, सभी निवेश परियोजनाओं में प्रयोक्ता शुल्क तथा अन्य राजस्व के माध्यम से वसूली गई लागत और परिसम्पत्ति स्थिरता का अनुसरण प्रतिभुगतान भार को नियंत्रित करने के दौरान परिसम्पत्ति अनुरक्षण बनाए रखने के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। तीसरा, एडीबी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए सरकारी प्रयासों का समर्थन करेगा। इस प्रबंधन में अधिप्राप्ति, अनुबंध प्रबंधन तथा लेखापरीक्षण हेतु विभिन्न प्रणालियां और क्षमताएं शामिल हैं।

35. **आधार 3 : जलवायु परिवर्तन संबोधनल तथा जलवायु अनुकूलता वृद्धि** एडीबी भारत की आईएनडीसी को पूरा करने तथा प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन प्रभावों के कारण अस्थिर अर्थव्यवस्था को सुधारने में सरकारी प्रयासों का सहायता प्रदान करेगा।

---

32. इसमें अभिकल्पना–निर्माण–प्रचालन अथवा प्रदर्शन–आधारित प्रबंधन अनुबंध शामिल हैं।

36. **जलवायु परिवर्तन शमन ।** एडीबी, नवीकरणीय ऊर्जा खपत के अनुपात को बढ़ाने के लिए सरकार की आईएनडीसी प्रतिबद्धता का क्रियान्वयन करने हेतु उसकी सहायता करेगा।[33] सहायता में सौर फोटोवोल्टिक तथा पवन ऊर्जा उत्पादन शामिल होगा। सहायता, स्वायत्त तथा गैर–स्वायत्त उधार साधनों, वित्तीय मध्यस्थता करनेवाले संस्थानों सहित, के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को भार केन्द्रों में छोड़ने के लिए ग्रीन कॉरीडोर्स अथवा हाई वोल्टेज पारेषण लाइनों पर भी केंद्रित होगी। एडीबी, क्षमता विकास में भी सहायता देगी ताकि विद्युत कम्पनियां सविराम नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण कर सकें। सहायता के तहत ऊर्जा भंडारण समाधान भी होगा जैसे मांग–आपूर्ति शेष को सुधारने के लिए पंप भंडारण हाइड्रोपॉवर। सहायतार्थ एडीबी, ताप विद्युत संयंत्रों की वित्त–पोषण कार्यकुशल सुधार तथा प्रदूषण नियंत्रण पर भी विचार कर सकता है। एडीबी, नवीकरणीय ऊर्जा विकास तथा ऊर्जा कार्यकुशल सुधार हेतु जलवायु वित्त–पोषण को सुदृढ़ करने के लिए घरेलू वित्तीय संस्थाओं के साथ कार्य करेगा। एडीबी, शहरी क्षेत्र में अपशिष्ट जल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं से मीथेन का प्रग्रहण करने के साथ–साथ शहरों में मोटररहित तथा कम कार्बन उत्सर्जन करनेवाले जन पारगमन का विकास करने में मदद करेगा।

37. **स्थायी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग।** एडीबी, जलवायु परिवर्तन प्रभावों को कम करने में सरकार की कार्यनीति का समर्थन करेगा। सिंचाई आधुनिकीकरण 20% तक जलोपयोग कार्यकुशलता बढ़ाने के राष्ट्रीय जल मिशन के लक्ष्य में प्रत्यक्ष रूप में योगदान करेगा। बड़े पैमाने की सिंचाई कार्यकुशलता से प्राप्त होनेवाले लाभ इस प्रकार हैं (i) ये भारत के दुर्लभ जल संसाधनों पर दबाव को कम करेंगे; (ii) कृषि, उद्योग तथा शहरी प्रयोक्ताओं के बीच पैदा होनेवाले विवाद को कम करेंगे; तथा (iii) जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होनेवाले भावी जल संकट को खत्म करेंगे। जल तथा पर्यावरण के दूरदर्शी प्रबंधन सहित जल प्रशासन को मजबूतर करने के लिए नदी बेसिन जल संसाधन प्रबंधन का अनुप्रयोग किया जाएगा। इसमें नीति तथा विधिक सलाहकार सेवाएं और क्षमता विकास तथा बेसिन प्रबंधन में नवीनतम नवाचारों का प्रदर्शन शामिल होगा। एकीकृत बाढ़ प्रबंधन तथा नदी किनारे के भू–क्षरण संरक्षण के साथ–साथ गैर–संरचनात्मक उपायों के साथ तैयार भू–क्षरण संरचना और न्यूनतम–लागत के बाढ़ संरक्षण उपाय के प्रयोग के प्रदर्शन को एडीबी की सहायता जारी रहेगी। तटीय क्षरण प्रबंधन हेतु प्रदान की जानेवाली सहायता से पारगमन में सुविधा होगी। यह पारंपरिक कठिन संरक्षण की तुलना में अधिक पर्यावरणानुकूल, समुचित और स्थायी समाधान होगा। इस समाधान से तट की देखभाल होगी, किनारे के बालू के टीलों का तथा/अथवा कृत्रिम चट्टानों प्रबंधन किया जा सकेगा।

38. **जलवायु तथा आपदा अनुकूलता।** एडीबी, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा आपदा जोखिम प्रबंधन की धारणा को सभी क्षेत्रों की मुख्यधारा के विवचेन में शामिल करेगा तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में जलवायु जांच के विचार को बढ़ावा देगा। एडीबी, शहरों में बढ़ती जलवायु परिवर्तन अस्थिरता पर विशेष ध्यान देगा, विशेष रूप से पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील उन राज्यों और शहरों में अधिक सक्रिय रहेगा, जिन्हें विशेष और अधिक ध्यान की जरूरत है। इन शहरों में वे पहाड़ी और वनप्रदेश वाले शहर शामिल हैं, जहां का पर्यावरण कमजोर है और इनमें कुछ शहर ऐसे भी हैं, जो संभवतः जल संबंधी आपदा जोखिमों, जैसे प्रमुख नदियों और जलाशयों के साथ शहरों में बाढ़ का प्रकोप तथा प्राकृतिक स्रोत का सूखना, का सामना कर सकते हैं। एडीबी, प्राकृतिक आपदा तथा जलवायु परिवर्तन की अतिसंवेदनशीलता का समाकलन करने के लिए नई परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगा तथा परियोजना अभिकल्पनाओं में संरचनात्मक तथा गैर–संरचनात्मक उपकरणों सहित समुचित अस्थिरता उपायों को शामिल करेगा।

2. क्रॉसकटिंग विषय

39. **निजी क्षेत्र का विकास।** एडीबी, बुनियादी ढांचा निवेश में निजी क्षेत्र के विकास तथा निजी भागीदारी को निरंतर प्राथमिकता देता रहेगा। एडीबी के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के विभाग गहनतापूर्वक परस्पर सहयोग करेंगे। जबकि निजी क्षेत्र के प्रचालन विभाग (पीएसओडी) का प्रचालन गतिशील है तथा निजी मांग द्वारा संचालित है, प्राथमिक–द्वितीय कार्यनीतिक अध्ययन (जैसे पूर्व तट आर्थिक कॉरीडोर पर) हेतु एडीबी की सहायता, प्राथमिक निवेश क्रियान्वयन करने की पहचान करने और सहायता करने तथा एक समन्वित तरीके के अंतर्गत संबंधित नीति सलाह हेतु मंच उपलब्ध कराएगी। एडीबी का निजी क्षेत्र का प्रचालन सीपीएस की तीन कार्यनीतिक प्राथमिकताओं की सहायता करेगा, अधिक अभिनव तथा समावेशी बुनियादी ढांचा विकसित करेगा तथा वित्त क्षेत्र के विकास को उत्प्रेरित करेगा। एडीबी, परिवहन (बंदरगाह, विमानपत्तन, सड़क, रेलवे तथा लॉजिस्टिक्स), ऊर्जा (स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा सहित),

---

33. समावेशी तथा स्थायी विकास आकलन (परिशिष्ट 3 में जुड़े हुए दस्तावेजों की सूची से सुलभ), पैरा 36.

शहरी बुनियादी ढांचा (जल–मल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित), मितव्ययी आवासन, वित्तीय समावेशन, कृषि (कृषि व्यवसाय तथा सिंचाई सहित), विनिर्माण, स्वास्थ्य तथा शिक्षा हेतु सहयोग करने पर विचार करेगा। कम आय वाले राज्यों के लेन–देन को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें वित्त तक महिलाओं की पहुंच को बढ़ाने हेतु आगे उधार देने के लिए वित्तीय संस्थाओं का वित्त–पोषण शामिल होगा।

40. एडीबी, पीपीपी सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निजी वित्त–पोषण को पुनर्जीवित करने तथा बढ़ाने के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को सहायता प्रदान करेगा। एडीबी, पीपीपी नीति तथा सांस्थानिक रूपरेखा और पीपीपी क्षमता को; जैसे एक समर्पित पीपीपी संस्थान की स्थापना करना, राज्य–स्तरीय पीपीपी स्थापनाओं और मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत करना तथा पीपीपी प्रचालनों को सहारा देने के लिए औजारों एवं उपकरणों के विकास को समर्थन देना; मजबूत करने के लिए अपनी दीर्घकालीन साझीदारी को निरंतर बनाए रखेगा। एडीबी के स्वायत्त प्रचालन भी निजी वित्त–पोषण को आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विशेषकर ऊर्जा तथा शहरी क्षेत्रों की निधीयन–क्षमता को बढ़ाकर, पीपीपी का विस्तार करने में सहायक होंगे (पैरा 28)। नवीन संविदात्मक साधनों, जैसे वार्षिक तथा दीर्घकालिक प्रचालन और अनुरक्षण अनुबंध, का भी विस्तार किया जाएगा। एडीबी, क्षेत्र के विनियमों को मजबूत करने तथा अभिनव वित्तीय उपकरणों के साथ एक पूंजी बाजार को विकसित करने में भी सहायता उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा एडीबी, अधिक जटिल तथा अभिनव पीपीपी निवेशों हेतु सौदा सलाहकार उपलब्ध कराने के लिए अवसरों का विस्तार करेगा।

41. **क्षेत्रीय सहयोग तथा एकीकरण।** एडीबी का आरसीआई प्रचालन दक्षिण एशिया उप–क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग प्रचालनात्मक योजना, 2016–2025 का क्रियान्वयन करेगा तथा इसका मार्गदर्शन एसएएसईसी : 21वीं सदी में एशिया का सशक्तिकरण दृष्टिकाण दस्तावेज, द्वारा किया जाएगा।[34] प्रचालनात्मक योजना निम्न पर केंद्रित होगी (i) विकट बाधाओं का समाधान तथा व्यापार मार्गों की सहायता करने के लिए बहुआयामी परिवहन संपर्क का उन्नयन तथा विस्तार करना; (ii) बहुआयामी परिवहन कार्यक्रम को जोड़ने के लिए व्यापार का व्यापक रूप में सरलीकरण करना; (iii) ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने तथा विद्युत विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए विद्युत व्यापार का विस्तार करना; तथा (iv) एसएएसईसी देशों में आर्थिक गलियारों के मध्य तथा उसके बाहर समन्वयकारिता को बढ़ावा देना तथा उन्नत क्रॉस–बार्डर सम्पर्कों के माध्यम से उनके विकास प्रभाव का इष्टतम उपयोग करना। भारत के नेतृत्व में एसएएसईसी दृष्टिकोण का निरूपण तथा प्रसारण, स्थायी तथा आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के क्रम में देशों के मध्य अधिकाधिक समन्वयकारिता उपन्न करने के लिए एसएएसईसी कार्यक्रम का गठन करता है। इनमें शामिल है (i) उप–क्षेत्र के भीतर योग्य औद्योगिक मांग का उपयोग कर किसी एसएएसईसी देश में प्राकृतिक–संसाधान–आधारित उद्योगों से लाभ उठाना, (ii) क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं का विकास तथा उन्हें मजबूत करने के लिए उप–क्षेत्र के भीतर उद्योगों के परस्पर संपर्क को बढ़ावा देना, तथा (iii) क्षेत्रीय तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाकर क्षेत्र के व्यापार और व्यवसाय का विस्तार करना।

42. **लैंगिक समानता।** लैंगिक समानता पर सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का अनुसरण करते हुए एडीबी, तैयारी के दौरान गुणवत्तापूर्ण लैंगिक विश्लेषणों, किसी निगरानी रूपरेखा में प्रतिबिंबित ठोस जीईएसआई कार्य योजना बनाने तथा क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त मानवीय तथा वित्तीय संसाधनों का प्रावधान करने में सहायता देने के माध्मय से एडीबी–वित्तपोषित परियोजनाओं में जीईएसआई परिणामों को मजबूत करने में सहायता प्रदान करेगा। एडीबी, जीईएसआई उत्पादन और परिणामों का अभिकल्पन, क्रियान्वयन तथा वितरण करने के लिए ज्ञान एवं क्षमता विकास करने हेतु चुनिंदा अनुदानों तथा तकनीकी सहायता (टीए) का उपयोग करेगा; तथा ज्ञानधारित उपलब्धियों के माध्यम से अच्छे अध्ययनों और विषय–पाठों का लेखांकन करेगा। एडीबी, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता को मुख्यधारा का विचार बनाने हेतु प्रयास करेगा। लैंगिक समानता उपलब्धियों, परिणामों की व्यवस्थित निगरानी तथा विषयों के रूप में लैंगिक समानता अथवा प्रभावी लैंगिक मुख्यधारणा के साथ परियोजनाओं के प्रभाव प्राथमिकता में होंगे। एडीबी, सरकारी अभिकरणों तथा विकास एवं ज्ञान साझीदारों के मध्य उचित अभ्यासों के विनिमय की सुविधा भी प्रदान करेगा।

ड. ज्ञान सहायता हेतु प्राथमिकताएं

43. **ज्ञान प्रबंधन।** भारत अधिक जटिल और विविध चुनौतियों का सामना कर रहा है क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था तेजी से उच्च मध्य–आय वाले स्तर की ओर बढ़ रही है। यह यही बताता है कि ज्ञान आधारित समाधान उपलब्ध कराने में एडीबी की महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ती जा रही है। इस हेतु सरकार की रुचियां इस प्रकार हैं।

---

34. एडीबी। 2016. *दक्षिण एशिया उप–क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग प्रचालनात्मक योजना, 2016–2025.* मनीला; तथा एडीबी। 2017, *एसएएसईसी : 21वीं सदी में एशिया को सशक्त करते हुए।* मनीला।

(i) विकास मार्गों, परिवर्तनकारी निवेश अवसरों तथा नीति सलाह की पहचान करने के लिए कार्यनीतिक अध्ययन; (ii) ज्ञान, क्षमता तथा प्राथमिक निवेश में विदित अंतरालों की पहचान करने तथा उनके समाधान में सहायता करने के लिए क्षेत्रवार अध्ययन; तथा (iii) ज्ञान उपलब्धियों से उचित क्रियान्वयन अभ्यासों, नवप्रवर्तनों तथा नवीन प्रौद्योगिकियों को समन्वित करना। भारत के लिए एडीबी की राष्ट्रीय ज्ञान योजना, 2018–2022 सीपीएस प्रचालनात्मक तथा विषयक प्राथमिकताओं और सरकारी प्राथमिकताओं तथा प्रमुख कार्यक्रमों के अनुरूप, उपरोक्त तीन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए ज्ञान उपलब्धियों का निर्धारण करती है।[35] इसके अलावा एडीबी, ज्ञान का विस्तार तथा प्रसार करने के लिए स्थानीय ज्ञान संस्थाओं (विचारकों तथा विश्वविद्यालयों और अन्य विकास भागीदारों) के साथ भागीदारी करेगा। एडीबी, अन्य परियोजना अभिकरणों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय संस्थाओं तथा विकास सदस्य देशों के साथ जटिल विकास चुनौतियों से निपटने की भारत की शिक्षाओं तथा अनुभवों को सीखने और उनका प्रसार करने के लिए दो तरफा शिक्षण का विस्तार करेगा तथा ज्ञान सहयोग को मजबूत करेगा।

IV. रणनीति क्रियान्वयन

क. संकेतक संसाधन प्राचल

44. ज्ञान प्रबंधन। भारत की वास्तविक तथा जटिल विकास चुनौतियों से कार्यनीतिक रूप में निपटने की आवश्यकता को देखते हुए तथा इस बाबत सरकार द्वारा इंगित किए गए अनुसार, एडीबी अपनी उधार देने की सीमा को बढ़ाएगा, और इसे कार्यनीतिक तथा नीति सलाह के साथ परिवर्तनकारी निवेश पर केंद्रित रखेगा। एडीबी, 2012–2016 में 2.65 अरब डालर प्रति वर्ष के औसत की तुलना में, निजी क्षेत्र के प्रचालनों सहित, 2018–2022 के लिए 3.00 अरब डालर–4.00 अरब डालर के वार्षिक ऋण का प्रस्ताव करता है, जो कि संसाधन उपलब्धता और परियोजना तैयारी पर निर्भर होगा।[36] इसके अलावा एडीबी, सरकार के नेतृत्व में समन्वयन के माध्यम से सह–वित्तपोषण अवसरों का विस्तार करेगा और यह कार्य भी तब होगा, विशेषकर जब बड़े निवेश अवसरों की पहचान की जाएगी। प्रासंगिक परियोजनाओं के लिए छूट आधारित जलवायु निधीयन का विस्तार भी किया जाएगा। एडीबी, वित्तीय साधनों के विविधीकरण की खोज भी करेगा।[37]

45. एडीबी, ऋण कार्यक्रम, क्षमता विकास, कार्यनीतिक अध्ययनों तथा मांग पर आधारित अन्य ज्ञान कार्यक्रमों की तैयारी को सहायता प्रदान करने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से टीए का उपयोग करेगा। बढ़े हुए ऋण तथा गैर–ऋण उत्पादन को समर्थन देने के लिए टीए संसाधनों को 2013–2016 में 6.6 मिलियन के एक वार्षिक औसत के साथ बढ़ाने की आवश्यकता होगी। एडीबी, परियोजना तैयारी तथा क्षमता विकास के लिए सह–वित्तपोषण के साथ–साथ टीए ऋणों और परियोजना अभिकल्पन अग्रिम ऋणों का पता लगाएगा।

46. एडीबी, सीपीएस अवधि के दौरान समग्र ऋण श्रेणी के लिए एक 70:30 औसत लागत–साझा अनुपात का प्रस्ताव करता है। व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए, एडीबी सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा।

ख. क्रियान्वयन प्राथमिकताएं

47. **क्षेत्र तथा भौगोलिक कार्यक्षेत्र व्याप्ति।** सीपीएस निम्नलिखित क्षेत्रों में व्यापक आधार पर कार्यव्याप्त होगा : परिवहन; ऊर्जा; शहरी बुनियादी ढांचा तथा सेवाएं (शहरी स्वास्थ्य सहित); सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन; कृषि, प्राकृतिक संसाधन तथा ग्रामीण विकास; और शिक्षा तथा कौशल। लगभग 85% ऋण संबंधी कार्यक्रम प्रथम तीन बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के लिए समर्पित होंगे। यह कम आय वाले राज्यों, विशेषकर वे जो न्यूनतम समूह में सम्मिलित हैं, के लिए वार्षिक ऋण कार्यक्रम की प्रगतिशील वृद्धि पर भी विचार करता है।

---

35 भारत देश की ज्ञान योजना 2018–2022 (परिशिष्ट 3 में जुड़े हुए दस्तावेजों की सूची से सुलभ)।

36 वर्ष 2018–2020 हेतु स्वायत्त आबंटन 7.5 अरब डालर है। चूंकि समग्र अनुमानित राशि संकेतक संसाधन आबंटन से अधिक है, इसलिए एडीबी आंतरिक स्रोतों (अर्थात् क्षेत्रीय उपेक्षित स्रोतों) से अतिरिक्त धन जुटाने का प्रयास करेगा।

37 इसमें स्थानीय मुद्रा वित्तपोषण, पीपीपी तथा उधार वृद्धि उत्पाद, जैसे गारंटियां, शामिल हैं।

38 सरकार द्वारा दिसंबर 2011 में दिशानिर्देश दिए गए थे तथा केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए 50%, सामान्य संवर्गीय राज्य परियोजनाओं के लिए 30% तथा विशेष संवर्गीय राज्य परियोजनाओं के लिए 20% का न्यूनतम सरकारी अंश का प्रस्ताव रखा गया था।

48. **अच्छा पोर्टफोलियो प्रदर्शन।** सीपीएस विभिन्न क्षमताओं के साथ विविध क्रियान्वयन साझीदारों को शामिल करता है। एडीबी का लक्ष्य प्रगतिशील रूप में बढ़े हुए वार्षिक ऋण स्तर के अनुरूप वार्षिक संवितरण करना होगा। पहला, एडीबी सरकार के साथ परामर्श करके परिवर्तनकारी निवेश अवसरों की पहचान करने के लिए कार्यक्षेत्रीय तथा कार्यनीतिक अध्ययनों के आधार पर मजबूत पाइपलाइनें बनाएगी। दूसरा, एडीबी तथा सरकार तैयारी मानदंड, जिसमें यह सुनिश्चित हो कि कार्यकारी अभिकरण के पास उस आकार की परियोजना का संचालन करने की क्षमता होगी प्रक्रमण, क्रियान्वयन और नीतिगत पहलू समाविष्ट होंगे, से जुड़कर शुरू में ही गुणवत्ता बढ़ाएंगे। टीए ऋणों तथा परियोजना अभिकल्पना अग्रिमों का उपयोग अभिकरण क्षमता तथा क्रियान्वयन तैयारी के लिए किया जाएगा। तीसरा, एडीबी नजदीकी प्रगति निगरानी तथा समर्थन, क्षमता विकास और निरीक्षण क्रियाविधियों, जैसे सुधारात्मक कार्यों का समस्या निवारण तथा अनुपालन लागू कर त्रिपक्षीय समीक्षा बैठकों, के माध्यम से अनुशासित क्रियान्वयन की व्यवस्था करेगा।

49. **रणनीतिक सलाह तथा क्षमता विकास।** सीपीएस की प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता, प्रभावी कार्यनीतिक तथा नीति सलाह उपलब्ध कराने में तथा एडीबी के ऋण प्रचालनों के एक आंतरिक घटक के रूप में परियोजना और उच्चतर स्तरों पर क्षमता तथा संस्थानों का विकास करने में, एडीबी की भूमिका को मजबूत करना है। देश की मांग को सुनिश्चित करने के दौरान, एडीबी क्षेत्रीय स्तर (अर्थात् आर्थिक गलियारा और लॉजिस्टिक पार्क) पर; तथा राज्य, क्षेत्र अथवा विषय संबंधी स्तरों (अर्थात् राज्य–स्तरीय आकलन, स्मार्ट सिटीज मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन) पर प्राथमिक–द्वितीयक कार्यनीतिक अध्ययन प्रदान करने के रूप में सहायता करेगा। ऐसे अध्ययनों से न केवल प्रमुख निवेश की पहचान की जा सकेगी, बल्कि ये उद्देश्यों (अर्थात् उत्पादक औद्योगिकीकरण तथा बहु बैंक–ग्राह्य परियोजनाओं के साथ दीर्घावधि शहरी विकास योजनाएं) को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित सुधारों हेतु आदर्श मार्गों और नीति सलाह भी उपलब्ध कराएंगे।

50. एडीबी आगे भी अपने ऋण प्रचालनों में क्षमता विकास को मुख्यधारा में लाएगा : सभी प्रासंगिक क्षेत्रों में क्रियान्वयन क्षमता के साथ–साथ नीति तथा संस्थागत परिवर्तनों हेतु स्पष्ट उत्पादन लक्ष्यों के साथ ही एक अपेक्षित लागत का एकतरफा निर्धारण भी किया जा सकता है। साझीदार अभिकरणों में एक बार विकसित तथा प्रतिधारित क्षमता और विकास का प्रयोग परस्पर शिक्षण के लिए कम आधुनिक अभिकरणों[39] के साथ–साथ राज्य विभागों और केंद्रीय मंत्रालयों में भी किया जाएगा। क्षमता विकास संसाधन केन्द्र, जिसकी स्थापना सरकार तथा एडीबी द्वारा संयुक्त रूप से की गई है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह महत्वपूर्ण प्रशिक्षण तथा परस्पर–शिक्षण अवसर उपलब्ध कराएगा तथा आधुनिक क्रियान्वयन और संबंधित अध्ययनों का एक संदर्भ ज्ञान आधार के रूप में प्रलेखीकरण करेगा। इसका प्रयोग एडीबी प्रचालनों के इतर प्रसार तथा क्षमता विकास हेतु किया जा सकता है। एडीबी, ज्ञान साझीदारों की साझीदारी में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों और नवीन प्रौद्योगिकियों की खोज तथा सूत्रपात भी करेगा।

51. **देश प्रणालियों का प्रयोग।** क्रियान्वयन कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए एडीबी, अधिप्राप्ति तथा सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय प्रणाली का प्रयोग करने की दिशा में अग्रसर होगा।[40] यह प्रणाली उन कार्यकारी अभिकरणों पर लागू होगी, जिनके पासे एडीबी नीतियों के समकक्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्थापित प्रणालियां तथा क्षमता है। इस प्रणाली के अंतर्गत अपेक्षित प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है, समान कानूनी अथवा विनियामक रूपरेखा, स्वीकार्य संस्थागत प्रणाली, क्रियान्वयन क्षमता तथा पूर्वकार्य–निष्पादन रिकॉर्ड और राष्ट्रीय प्रणाली तथा एडीबी नीतियों के मध्य उत्पन्न होनेवाले किसी अंतर को खत्म करने के लिए एक कार्य योजना।[41] अप्रैल 2016 में सरकार के अनुरोध का अनुसरण करते हुए एडीबी, एडीबी के निदेशक मण्डल द्वारा फरवरी 2017 में अनुमोदितानुसार पॉवरग्रिड हेतु अधिप्राप्ति तथा सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रणाली (अभिकरण के स्तर पर) का आकलन और अंगीकरण कर चुकी है। इस संदर्भ में भविष्य में उन आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा, जो मानदंड को पूरा करते हैं।[42]

---

39 एडीबी और सरकार परियोजना पर काम करनेवाले अभिकरणों से इन प्रतिबद्धताओं की मांग करेंगे कि वे परियोजना हेतु सशक्त नेतृत्व की नियुक्ति करें तथा वचनबंध के नियमों के भाग के रूप में एक पर्याप्त अवधि हेतु प्रमुख कर्मचारियों को परियोजना पर कार्यव्यस्त रखें।

40 एडीबी के सुरक्षा नीति विवरण (2009) (एसपीएस) में अभिकरण/परियोजना, क्षेत्र, उप–राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर एडीबी परियोजनाओं में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली (सीएसएस) का इस्तेमाल करने हेतु प्रावधान है।

41 सीएसएस हेतु अंगीकरण ''समानता'' (सीएसएस के प्रावधान एसपीएस के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप हैं) तथा ''स्वीकार्यता'' (अभिकरण के पास अपने स्वयं के एसपीएस सिद्धांतों का प्रयोग करने की अनिवार्य क्षमता तथा अनुभव हैं।) के अधीन हैं। एडीबी की नवीन अधिप्राप्ति नीति राष्ट्रीय प्रणाली सहित वैकल्पिक अधिप्राप्ति व्यवस्था का प्रयोग करने की सुविधा उपलब्ध कराती है।

42 एडीबी ने सुरक्षा उपायों के लिए एक राष्ट्रीय समतुल्य आकलन भी तैयार किया है, जिसे सरकार के साथ परामर्श करने के बाद अन्तिम रूप दिया जाएगा। इस आधार पर क्षेत्र–,अभिकरण–, अथवा परियोजना स्तर पर सीएसएस के प्रयोग हेतु प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है, जो कि संबंधित क्षेत्र, अभिकरण अथवा परियोजना की समानता तथा स्वीकार्यता आकलन के अधीन है।

52. **निवासी मिशन का सुदृढ़ीकरण।** कार्यनीति 2020 की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार : कार्य योजना, एडीबी का भारत निवासी मिशन भारत में सभी परियोजनाओं के प्रदर्शन की निगरानी कर रहा है।[43] लगभग 60%–70% परियोजनाएं स्थानीय मिशन को सौंपी जा रही हैं, तथा निर्बाध पोर्टफोलियो प्रबंधन हेतु परियोजना प्रक्रमण में अपनी भागीदारी को बढ़ाने समय अधिक से अधिक कर्मचारी परियोजना क्रियान्वयन का निरंतर नेतृत्व करते रहेंगे। पीएसओडी की योजना सीपीएस अवधि के दौरान भारत के लिए अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने की है।

ग. परिणामों की निगरानी

53. एडीबी तथा सरकार सीपीएस परिणाम रूपरेखा का प्रयोग करेंगे, जो लक्षित परिणामों की उपलब्धि को जांचने–परखने के लिए प्राथमिकता आधारित क्षेत्रों में परिणामों पर केंद्रित होते हैं। एडीबी, अनिवार्य संशोधनों तथा राष्ट्रीय प्रचालन व्यवसाय योजना की तैयारी के साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन के दौरान वार्षिक रूप में रूपरेखा की निगरानी तथा अद्यतन करेगा। समस्त प्राथमिक क्षेत्र तथा परिणाम संकेतक जो सीपीएस परिणामों की रूपरेखा में प्रतिबिंबित हैं, वे एसडीजी के अनुरूप हैं तथा उनकी गहनतापूर्वक निगरानी की जाएगी। एडीबी व्यवस्थित ढंग से इनकी निगरानी करेगा (i) जीईएसआई कार्ययोजनाओं की उपलब्धियों तथा परिणामों को *लैंगिक समानता* तथा *प्रभावी लैंगिक मुख्यधारा* के रूप में वर्गीकृत परियोजनाओं के साथ जोड़ दिया गया, तथा (ii) क्षमता विकास कार्रवाईयों का प्रभाव एडीबी द्वारा सहयताप्राप्त परियोजनाओं को लक्ष्य कर रहा है। एडीबी, प्रशिक्षण में वितरण करने तथा राष्ट्रीय और उप–क्षेत्रीय आयोजनों में व्यक्ति से व्यक्ति हेतु शिक्षण हेतु ज्ञान उत्पादों के माध्यम से ग्राह्य शिक्षाओं तथा सर्वश्रेष्ठ अध्ययनों का प्रलेखीकरण करेगा।

घ. जोखिम

54. **राजकोषीय दबाव।** भारत में ऐसे राज्यों तथा यूएलबी की संख्या बढ़ रही है, जो बुनियादी ढांचा अंतरालों को पाटने तथा बढ़ती पारिश्रमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उभरते विकास और पुनरावर्ती व्ययों के कारण राजकोषीय दबाव में हैं। यद्यपि देश में एक अच्छी तरह से स्थापित राजकोषीय नियंत्रण तथा समायोजन प्रणाली है तथापि एडीबी बुनियादी ढांचा तथा सामाजिक विकास में निवेश हेतु अधिक राजकोषीय योगदान करने के लिए राज्य सरकारों के अन्तर्गत संचालित राजकोषीय सुधारों को अधिक समर्थन देगा। एडीबी, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की बैंक–स्वीकृत ऐसी परियोजनाओं को भी सहायता प्रदान करेगा, जिनका समर्थन वित्तीय मध्यस्थता करनेवाली संस्थाओं द्वारा भी किया जा सकता है। क्षेत्र प्रचालन द्वारा शुल्क संग्रह करने तथा अन्य राजस्व क्रियाविधियों का निर्माण करने के मार्फत निवेश तथा परिसम्पत्ति प्रबंधन की उचित लागत वसूली क्रियाविधियों का अनुसरण इसलिए किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवेश अतिरिक्त राजकोषीय दबाव का कारण न बनें।

55. **क्रियान्वयन क्षमता।** हालांकि अंतर्विभागीय समन्वय (जैसे संवैधानिक आवश्यकताओं हेतु) तथा बाह्य कारणों से उत्पन्न जोखिमों पर बहुआयामी कार्यों को संभालने के लिए परियोजना चलानेवाले अभिकरणों की क्षमता, परियोजना प्रचालनों में अनुपालन और प्रवर्तन के संबंध शासन के साथ एक समस्या बनी हुई है। लेकिन तब भी अभिकरणों ने प्रगतिशील सुधार किए हैं, कम आय वाले राज्यों, जहां अभिकरण की क्षमता सामान्यतः कम होती है, में भी कार्य विस्तार के दौरान प्रचालनों को आगे बढ़ाया गया है, परंतु यह सब कुछ समग्र पोर्टफोलियो प्रदर्शन पर अतिरिक्त दबाव डालेगा। ऐसे जोखिमों को इन उपायों से खत्म किया जाएगा (i) परियोजना आकारों को परियोजना कार्य संभाल रहे अभिकरण की क्षमता के अनुसार बनाना; (ii) परियोजना अभिकल्पना में मुख्यधारा क्षमता का विकास, तथा प्राथमिक–संभार क्षमता और तैयारी विकास के लिए टीए ऋणों तथा परियोजना अभिकल्पना अग्रिमों का इस्तेमाल करना; (iii) दीर्घावधि साझीदारियों को विकसित करना तथा सशक्त नेतृत्व की नियुक्ति करने और प्रमुख कर्मचारियों की कार्यव्यस्तता बनाए रखने के लिए स्पष्ट अग्रिम प्रतिबद्धताओं की मांग करना; और (iv) परिणामों और उत्पादन की प्रत्यक्ष निगरानी के साथ क्षमता विकास संसाधन केंद्र और कार्य करते हुए मिलनेवाले प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवस्थित सहयोग उपलब्ध कराना।

---

[43] एडीबी। 2014. *कार्यनीति 2020 की मध्यावधि समीक्षा: कार्य योजना।* मनीला

परिशिष्ट 1

देश भागीदारी रणनीति परिणाम रूपरेखा

राष्ट्रीय विकास प्रभाव संकेतक, जिसके साथ सीपीएस संरेखित है[a]

1. जीडीपी विकास दर में 2032 तक 8.0% प्रति वर्ष की वृद्धि होगी (2013–2016 आधार रेखा औसत : 6.8%)[b]
2. राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या के अनुपात में 2032 तक 5% तक की कमी होगी (राजकोषीय वर्ष 2012 की आधार रेखा : 21.9%)[c]
3. शहरी जीडीपी में 2030 तक 75% की वृद्धि होगी (2011 आधार रेखा : 63%)[d]
4. किसानों की वार्षिक आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी (2015 आधार रेखा : ₹ 120,193)[e]

सीपीएस उद्देश्य तथा संबंधित प्रभाव	सीपीएस प्राथमिक क्षेत्र	प्रमुख उत्पादन, जिसमें एडीबी सहयोग करता है	उत्पादन संकेतक	सीपीएस संसाधन
अधिक तथा बेहतर रोजगार सृजन हेतु आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाना	ट्रंक संरचना तथा प्रतिस्पर्द्धी शहरों के साथ आर्थिक गलियारों का निर्माण संस्थाओं तथा निवेश का माहौल सुधारना, गलियारा विकास सहित औद्योगिकीकरण की सहायता करने के लिए कौशल अंतराल को खत्म करना क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाना	रोजगार सृजन तथा आय–अर्जन अवसरों को उन्नत किया प्रत्यक्ष तथा विदेशी निवेश हेतु क्षमता उन्नयन किया बढ़ते कार्यबल की रोजगार व्यस्तता और उत्पादकता को उन्नत किया घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मध्य बेहतर संपर्क	जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 2022 तक 25% बढ़ेगा (2016 आधार रेखा : 16.5%)[f] व्यवसाय करने की सुगमता हेतु वैश्विक श्रेणी 2020 तक 30 या उससे अधिक होगी (2016 आधार रेखा : 130)[f] 2022 तक 100 स्मार्ट शहरों का विकास (2014 आधार रेखा : 0)[f] रेलवे की वार्षिक मालभाड़ा ढुलाई क्षमता 2022 तक 1.3 बिलियन टन होगी (2015 आधार रेखा : 1.0 बिलियन टन)[f] प्रमुख तथा गैर–प्रमुख बंदरगाहों द्वारा संचालित कार्गो 2022 तक 2,000 मिलियन होगा (2015 आधार रेखा : 1,500 मिलियन टन)[f] 2022 तक श्रमिकों के रूप में कार्यरत 400 मिलियन लोगों को तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाएगा (2015 आधार रेखा : 10 मिलियन)[g,k] 2020 तक कम से कम 25% विद्यालयों में औपचारिक शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण को एकीकृत कर दिया जाएगा (आधार रेखा : 0%)[g,k] 2016–2017 तक अंतर्क्षेत्रीय विद्युत पारेषण क्षमता का संवर्द्धन 72,250 मे.वा. कर दिया जाएगा (2013 आधार रेखा : 31,850 मे.वा.) [f]	**वर्तमान पोर्टफोलियो** वर्तमान स्वायत्त ऋण परियोजनाएं (30 जून 2017 तक) : संख्या : 16 राशि : $2.00 बिलियन **नियोजित प्रचालन तथा योगदान :** **स्वायत्त** नियमित ओसीआर 2018–2020 का $2.06 बिलियन **तकनीकी सहायता** गैर–उधारी : $3.31 मिलियन प्रति वर्ष
बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों तथा सेवाओं का समावेशी प्रावधान	आंतरिक क्षेत्रों तथा कम आय वाले राज्यों में समावेशी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना	ऊर्जा आपूर्ति की अत्यधिक उपलब्धता तथा विश्वसनीयता	सड़क माल ढुलाई यातायात 2022 में 1.7 ट्रिलियन टन–कि.मी. होगा (2011	**वर्तमान पोर्टफोलियो** वर्तमान स्वायत्त ऋण

परिशिष्ट 1

सीपीएस उद्देश्य तथा संबंधित प्रभाव	सीपीएस प्राथमिक क्षेत्र	प्रमुख उत्पादन, जिसमें एडीबी सहयोग करता है	उत्पादन संकेतक	सीपीएस संसाधन
	समावेशी शहरीकरण को बढ़ावा देना कृषि संबंधी कार्यकुशलता को बढ़ाना सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन में सुधार करना स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करना	ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बेहतर संपर्क शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता तथा अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं में सुधार करना कृषि उत्पादकता तथा ग्रामीण आय में सुधार करना लोक वित्त का कार्यकुशल उपयोग स्वस्थ जनसंख्या	आधार रेखा : 1.2 ट्रिलियन टन–कि.मी.) सड़क यात्री–कि.मी. 2022 तक 10.2 ट्रिलियन पास–कि.मी. हो जाएगा (2011 आधार रेखा : 7.4 ट्रिलियन यात्री–कि.मी.)[f] सड़क यातायात दुर्घटनाओं से मौतों की संख्या 2022 तक प्रति 10,000 वाहनों पर 5.1 तक घटेगी (2013 आधार रेखा : प्रति 10,000 वाहन 7.6)[h] 100.00% घरों को 2019 तक बिजली से जोड़ दिया जाएगा (2017 आधार रेखा : 74.6%) [i, k] कुल तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों को 2018–19 में 15% तक किया जाएगा (2014 आधार रेखा : 24.6%)[i] 100% शहरी घरों को 2019 तक सरकारी मानकों के अनुसार स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा (2015 आधार रेखा: 97.1%) [j, k] 100% शहरी जनसंख्या 2019 तक सुरक्षित वैज्ञानिक अपशिष्ट निपटान सहित उन्नत स्वच्छ सुविधाओं का उपयोग करेगी (2015 आधार रेखा : 63%) [j, k] 2018–2022 के दौरान कृषि की वार्षिक औसत वृद्धि दर 4.0% होगी (2012–2015 आधार रेखा : 1.8%)[e] नवजात शिशुओं तथा 5 वर्ष से छोटे बच्चों की निवारणयोगय मृत्यु–दर को 2030 तक पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा (2013 आधार रेखा : 49) [h, k] मातृ मुत्यु दर अनुपात को 2030 तक प्रति 100,000 जीवित जन्म पर 70 से कम कर दिया जाएगा (2013 आधार रेखा : 167)[h, k]	परियोजनाएं (30 जून 2017 तक) : संख्या : 58 राशि : $9.30 बिलियन **नियोजित प्रचालन तथा योगदान :** **स्वायत्त** उधार : 2018–2020 हेतु नियमित ओसीआर के $8.61 बिलियन **तकनीकी सहायता** गैर–उधारी : $6.89 मिलियन प्रति वर्ष

परिशिष्ट 1

सीपीएस उद्देश्य तथा संबंधित प्रभाव	सीपीएस प्राथमिक क्षेत्र	प्रमुख उत्पादन, जिसमें एडीबी सहयोग करता है	उत्पादन संकेतक	सीपीएस संसाधन
जलवायु परिवर्तन का समाधान करना तथा जलवायु स्थिरता बढ़ाना	दीर्घकालिक प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देना जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया को बढ़ाना	जल प्रबंधन कार्यकुशलता को बढ़ाना नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन करके कार्बन खत्म करना तथा उच्च कार्यकुशलता प्राप्त करना पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ परिवहन प्रणाली	2022 तक सभी क्षेत्रों में जल उपयोग कार्यकुशलता में 20% की वृद्धि होगी (2011 आधार रेखा : 38%)[j] 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 175 जीडब्ल्यू तक बढ़ जाएगी (2016 आधार रेखा : 43 जीडब्ल्यू)[i] 2022 में महिलाओं सहित 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या के साथ शहरों में सार्वजनिक परिवहन का मॉडल अंश 32% होगा (2008 आधार रेखा : 27%)[d, k]	**वर्तमान पोर्टफोलियो** वर्तमान स्वायत्त ऋण परियोजनाएं (30 जून 2017 तक) : संख्या : 13 राशि : $2.00 बिलियन **नियोजित प्रचालन तथा योगदान** : **स्वायत्त** 2018–2020 हेतु नियमित ओसीआर के $5.52 बिलियन **तकनीकी सहायता** गैर–उधार : $1.99 मिलियन प्रति वर्ष

एडीबी=एशियाई विकास बैंक, सीपीसी=राष्ट्रीय साझीदारी कार्यनीति, जीडीपी=सकल घरेलू उत्पाद, जीडब्ल्यू=गीगावाट, केएम=किलोमीटर, एमडब्ल्यू=मेगावाट, ओसीआर=साधारण पूंजी संसाधन।

[a] पनगढ़िया। 2017. *भारत 2031–32 : परिकल्पना, कार्यनीति तथा कार्यक्रम।* नीति आयोग की शासकीय परिषद् की तृतीय बैठक में प्रस्तुतिकरण। दिल्ली। 23 अप्रैल।
[b] संयुक्त राष्ट्र। *दीर्घकालिक विकास लक्ष्य।* http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
संयुक्त राष्ट्र। लक्ष्य 8: समावेशी तथा दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सभी के लिए रोजगार तथा उचित कार्य। http://www.un.org/sustainabledevelopment/economic-growth.
[c] संयुक्त राष्ट्र। लक्ष्य 1: सभी जगह से गरीबी को इसके प्राथमिक स्वरूप में खत्म करना। http://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty.
[d] संयुक्त राष्ट्र। लक्ष्य 11: शहरों को समावेशी, सुरक्षित, प्रत्यास्थी तथा संधारणीय बनाना। http://www.un.org/sustainabledevelopment/cities.
[e] संयुक्त राष्ट्र। लक्ष्य 2: भूख मिटाना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना तथा पोषण को उन्नत बनाना और टिकाऊ कृषि का संवर्द्धन करना। . http://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger.
[f] संयुक्त राष्ट्र। लक्ष्य 9: प्रत्यास्थी बुनियादी ढांचा बनाना, दीर्घकालिक औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना तथा नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करना। http://www.un.org/sustainabledevelopment/infrastructure-industrialization.
[g] संयुक्त राष्ट्र। लक्ष्य 4: सभी के लिए समावेशी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और जीवनपर्यन्त शिक्षण को बढ़ावा देना। http://www.un.org/sustainabledevelopment/education.
[h] संयुक्त राष्ट्र। लक्ष्य 3: सभी आयु–वर्गों में सभी के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना तथा स्वास्थ्य भावना को बढ़ावा देना। http://www.un.org/sustainabledevelopment/health.
[i] संयुक्त राष्ट्र। लक्ष्य 7: मितव्ययी, विश्वसनीय, संधारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना। http://www.un.org/sustainabledevelopment/energy.
[j] संयुक्त राष्ट्र। लक्ष्य 6: जल तथा स्वच्छता तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित करना।
[k] संकेतक गुणवत्तापूर्ण मूलभूत सेवाओं तक बढ़ी पहुंच से प्राप्त लैंगिक समानता के बारे में सूचित कर रहे हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं भलाई में हो रहे परिवर्तनों तथा महिलाओं के जीवन पर पड़ रहे प्रभावों का मापांकन कर रहे हैं।

स्रोत : एशियाई विकास बैंक

राष्ट्रीय ज्ञान योजना एक नजर में

ज्ञान विषय	एडीबी के नियोजित ज्ञान प्रचालनों का क्षेत्र
सामान्य तथा आर्थिक नीतियां	
विकास परिकल्पना तथा कार्यनीति व्यापक आर्थिक आकलन	असम (तथा इच्छुक राज्य) के लिए विकास परिकल्पना तथा कार्यनीति *एशियाई विकास दृष्टिकोण* हेतु आवधिक व्यापक आर्थिक अद्यतन; विकास निदान अध्ययन; इत्यादि
अधिक तथा बेहतर रोजगार सृजित करने के लिए आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाना	
विकास मार्गों की पहचान करने के लिए औद्योगिक गलियारा विकास तथा कार्यनीति अध्ययन	पूर्व तट आर्थिक गलियारा (ईसीईसी) अध्ययन : - वाइजेग–चेन्नई औद्योगिक गलियारा मास्टर प्लानिंग - तमिलनाडु गलियारा व्यापक विकास योजना तथा मास्टर प्लान - ओडिशा व्यापक विकास योजना तथा मास्टर प्लान - पश्चिम बंगाल व्यापक विकास योजना राजस्थान उत्पादक समूह विकास लक्ष्य भारत में विकासोन्मुख परिवहन तथा लॉजिस्टिक्स केंद्रों का अध्ययन गलियारों में स्मार्ट सिटीज तथा कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन (एएमआरयूटी) सिटीज की दीर्घावधि योजना तथा क्षमता विकास ($7 मिलियन समूह तकनीकी सहायता ''भारत में शहरी जलवायु परिवर्तन स्थिरता बनाना'' के माध्यम से) ईसीईसी तथा *सागरमाला* के मध्य सहक्रियता – दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) की रूपरेखा के अन्तर्गत मूल्य श्रृंखला एकीकरण हेतु बंदरगाहों, रेलवे तथा सड़कों के सम्पर्क के लिए तकनीकी सहायता
कौशल	चयनित राज्यों में कौशल विकास की सहायतार्थ तकनीकी सहायता (कार्यनीतिक तथा नीतिगत सलाह, निवेश योजना बनाना) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ($1.1 मिलियन) तथा राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण ($1.5 मिलियन) के लिए क्षमता विकास हेतु तकनीकी सहायता
बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों तथा सेवाओं का समावेशी प्रावधान	
सम्पर्क	राज्य सड़क योजना बनाना, परियोजना, अभिकल्पना, क्रियान्वयन, सड़क सुरक्षा तथा परिसम्पत्ति प्रबंधन (कम आय वाले राज्यों में) नवीन गंगा पुल सहित बड़े पुलों के लिए प्रचालन योजना तथा दीर्घकालिक अनुरक्षण तटवर्ती गलियारा में राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु तकनीकी सहायता
लोगों को सशक्त बनाना	चयनित राज्यों में स्मार्ट ग्रिड मिशन के सहायतार्थ तकनीकी सहायता प्रणालीगत आधुनिकीकरण तथा सुधारों के माध्यम से कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को घटाने के लिए राज्य स्तरीय लक्ष्य

ज्ञान विषय	एडीबी के नियोजित ज्ञान प्रचालनों का क्षेत्र
समावेशी शहरीकरण	चयनित राज्यों (मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि) में स्मार्ट सिटीज तथा एएमआरयूटी सिटीज सहित राष्ट्रीय प्रमुख शहरी कार्यक्रमों के सहायतार्थ तकनीकी सहायता तीव्र समाधानों (24x7 जलापूर्ति, गैर–राजस्व वाली जलापूर्ति में कमी, बर्बाद होनेवाले जल का पुनर्प्रयोग तथा प्रसंस्करण इत्यादि के साथ आधुनिक प्रणाली) का विस्तार
कृषि गहनता	अभिनव सिंचाई जल प्रबंधन समाधान अध्ययन मत्स्य तथा कृषि क्षेत्रों के लिए शीतागार तथा सम्बद्ध मूल्य श्रृंखलाओं का विकास करने हेतु
जलवायु परिवर्तन का समाधान ढूंढना तथा जलवायु स्थिरता बढ़ाना	
ऊर्जा कार्यकुशलता	चयनित राज्यों (राजस्थान, उत्तर प्रदेश इत्यादि) में सौर पार्क विकास तथा पारेषण न्यूनतम सीओ$_2$ उत्सर्जन में सहायता करने तथा भारत को 2030 तक इसके उत्सर्जन लक्ष्य की पूर्ति करने में मदद देने के लिए योजनागत रेलवे निवेश अर्थात समर्पित मालभाड़ा गलियारा, रेलवे ऊर्जा कार्यकुशलता सुधार तथा रेलवे क्षमता सुधार और विद्युतीकरण, को सहायता देना
संधारणीय तथा प्रत्यास्थी शहर	जलवायु सुरक्षा शहरी योजना पर निदान तथ मार्गदर्शन; हरित भवन, जलवायु–स्थिरता परिवहन तथा तीव्र ऊर्जा प्रणाली का विकास करना और उसका परीक्षण करना; तथा/अथवा *भारत में शहरी जलवायु परिवर्तन स्थिरता विकास* के माध्यम से ज्ञान विनिमय को मजबूत करना विभिन्न शहरों में स्थानीयकरण पर अध्ययन तथा शहरी बुनियादी ढांचा निवेश प्राथमिकीकरण उपकरण का परीक्षण और रोल–आउट, पूर्व–संभाव्यता अध्ययन प्रशिक्षण में प्रतिभागिता करना, भारतीय शहरी मंच के लिए तैयारियां, जिन्हें भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय, पर्यावरणीय योजना तथा प्रौद्योगिकी केंद्र, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, विकास अध्ययन समिति तथा ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के सहयोग से एशियाई शहरों के विकास पहल के माध्यम से सहायता मिलेगी। मेट्रो तथा अन्य शहरी परिवहन सुधार परियोजनाओं के सहयोग से शहरी सार्वजनिक परिवहन अध्ययन
संधारणीय प्राकृतिक संसाधान प्रयोग	राष्ट्रीय जल उपयोग कार्यकुशलता सुधार सहायक कार्यक्रम की सहायता तथा क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सहायता तथा तकनीकी सहायता ऋण आधुनिक तथा नवीन प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग (जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया प्रणाली के साथ नदीतट तथा तटवर्ती कटाव प्रबंधन, बाढ़ जोखिम प्रबंधन इत्यादि)
क्रॉस–कटिंग विषय	
निजी क्षेत्र का विकास	पीपीपी नीति तथा संस्थागत रूपरेखा, औजारों तथा उपकरणों और राज्य स्तरीय क्षमताओं को मजबूत करने के लिए तकनीकी सहायता क्षमताओं का विकास करते हुए, राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा निवेश निधि तथा तमिलनाडु बुनियादी ढांचा निधि सहित, बैंक–स्वीकृत निवेश परियोजनाओं को निरूपित करने के लिए समर्पित राष्ट्रीय–एवं राज्य–स्तरीय निवेश निधीयन अभिकरणों को तकनीकी सहायता आर्थिक गलियारों, सामाजिक बुनियादी ढांचा जैसे स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा में निजी निवेश (परियोजना प्रचालनों के माध्यम से अर्जित), वित्तीय संस्थान जो रोजगार सृजन में योगदान कर रहे हैं जैसे विनिर्माण, कृषि व्यवसाय तथा आवासन, स्वच्छता, सौर पीवी और पवन ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा परियोजनाओं हेतु अपशिष्ट इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए ज्ञानाधार

परिशिष्ट 2

ज्ञान विषय	एडीबी के नियोजित ज्ञान प्रचालनों का क्षेत्र
क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग	वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में प्रतिभागिता करने पर अध्ययन : राष्ट्र तथा क्षेत्र स्तरीय विश्लेषण दक्षिण एशिया में व्यापार सरलीकरण पर प्रभाव अध्ययन भारत तथा दक्षिणपूर्व और पूर्वी एशिया के मध्य बृहर एकीकरण पर अध्ययन भारत में विकसित होते परिवहन तथा लॉजिस्टिक्स केंद्रों का अध्ययन एसएएसईसी में मोटर वाहन अनुबंधों तथा इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग प्रणाली का सरलीकरण भारत तथा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के मध्य भारत–म्यांमार–थाईलैंड मोटर वाहन अनुबंध और समुद्रीय परिवहन सहयोग अनुबंध पर बातचीत हेतु तकनीकी सहायता
लैंगिक मुख्यधारा	शहरी, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा परियोजनाओं में लैंगिक मुख्यधारणा तथा सरकार एवं एडीबी की लैंगिक नीतियों पर सर्वश्रेष्ठ अभ्यास संकलन तथा प्रचार–प्रसार लैंगिक लेखापरीक्षण प्रणाली की स्थापना तथा प्रचार–प्रसार
परियोजना क्रियान्वयन हेतु क्षमता विकास	स्थानीय संस्थानों के साथ साझीदारी में व्यवस्थित क्षमता मूल्यांकन और वार्षिक कैलेंडर्स पर आधारित परियोजना क्रियान्वयन प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए क्षमता विकास तकनीकी सहायता ($5.35 मिलियन जारी रहेंगे) परियोजना क्रियान्वयन पर आधुनिक अध्ययनों पर ज्ञान संकलन तथा प्रचार–प्रसार (सर्वश्रेष्ठ अध्ययनों, लगातार पूछे जानेवाले प्रश्नों, विषयगत अध्ययनों, इत्यादि सहित) क्षेत्र परियोजना प्रचालनों से प्राप्त ''वित्त लाभ'' उत्पादनों की एक श्रृंखला का संकलन तथा प्रचार–प्रसार आर्थिक कार्य विभाग के सहायता, लेखांकन तथा लेखापरीक्षण प्रभाग, जोखिम प्रबंधन अध्ययन सहित, हेतु क्षमता विकास तकनीकी सहायता विकास प्रभाविता संक्षेप 2020 भारत परियोजनाओं के लिए डाटाबेस की निगरानी तथा मूल्यांकन

परिशिष्ट 3

सम्बद्ध दस्तावेजों की सूची

http://www.adb.org/Documents/CPS/?id=IND-2018

1. समावेशी तथा संधारणीय विकास आकलन
2. विकास समन्वयन सांचा
3. राष्ट्रीय प्रचालन व्यवसाय योजना : भारत सीओबीपी 2018–2020

अनुपूरक

4. भारत राष्ट्र ज्ञान योजना 2018–2022